रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 1974/श्रावण 9, 1896
No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 1974/SRAVANA 9, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Secretariat Library 1974

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 31st July 1974

SUBJECT.—*Import of Fresh Fruits, all sorts, excluding coconuts, cashewnuts and Dates [S. No. 21(a)(i)/IV] from Afghanistan from 1-3-1974 to 28-2-1975.*

General Trade Arrangement

No. 108-ITC(PN)/74.—The General Trade Arrangement between India and Afghanistan signed on the 20th February, 1972, is reproduced in Annexure I.

2. Applications for import of fresh fruits from Afghanistan and for the export of the commodities detailed in Schedule B-I and Schedule B-II, from India, (*vide* Annexure II), will be considered in accordance with the provisions made in this Public Notice, from the following:—

(i) "Approved Importers" under the previous Trade Arrangements; and

(ii) "Others".

3. The policy for import of dry fruits, asafoetida, cumin seeds and medicinal herbs will be announced later.

Definition of "Approved Importers"

4. The 'Approved Importers' are those:

(i) who have participated in the Indo-Afghan Trade in those commodities

during the four years ending 30th June, 1956 and are already registered as such; and

(ii) the Afghan Government's nominee firms already registered as "Approved Importers".

Definition of "Others"

5. "Others" (not being 'Approved Importers') are those who are resident in India, have the requisite financial capacibility of transacting the business as certified by a scheduled Bank in India, are dealers in items listed in Schedule 'A', B-I or B-II *vide* Annexure II to this Public Notice, and have participated in the Indo-Afghan Trade in those commodities during any of the two years ending 28th February, 1974, and

(i) are citizens of India, if they are (a) individuals or (b) kartas of Hindu undivided family in respect of family business, or

(ii) are an Indian Company, or

(iii) have the control and management of their affairs situated wholly in India if they are a firm, a limited company or an association, or

(iv) are a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act.

Persons ineligible to participate

6. Partners/Directors/Proprietors and his/her wife/husband or dependent relations (including unmarried children) of "Approved Importer(s)" and 'Other(s)', as defined in paras 4 and 5 above, will not however, be permitted to participate in the Indo-Afghan Trade. For this purpose the applicants are required to furnish alongwith the application, an undertaking, on a stamped paper, to the licensing authority concerned as follows:—

"I/We hereby declare that neither of the partners/directors/proprietors of the firm/company, or his/her wife/husband, dependent relations or unmarried children, have submitted or will submit an application for CCP under this Public Notice for import of fresh fruits from Afghanistan".

Signature ————————

Status of the (i) Deponent ————————

(ii) Applicant firm ————————"

In addition, the following categories of persons will also not be permitted to participate:—

(i) Those who have been de-registered from the list of "Approved Importers" under the previous Trade Arrangements. [However, those "approved importers" who have remained dermant for a period of four years and have been re-registered in terms of Public Notice No. 240-ITC(PN)/68, dated 4th November, 1968, will be allowed to participate if they are otherwise eligible in terms of this Public Notice];

(ii) those who stand debarred from receiving import or export licences or release orders under the Import/Export Trade Control rules and regulations;

(iii) those whose counter-balancing obligations in respect of imports from and exports to Afghanistan during the preceding years remain unfulfilled.

NOTE.—For those, who participated in the Indo-Afghan Trade Arrangement March 1973—February 1974 the last date for fulfilment of counter-export obligation has been extended upto 31st August, 1974, *vide* Public Notice No. 83-ITC(PN)/74, dated the 11th April 1974. It may be noted that after 31st August, 1974, no CCPs will be issued to those importers, who fail to discharge, by that date, their export obligation in full and in the prescribed proportion as between Schedule B-I and B-II items, in respect of imports made by them during the Indo-Afghan Trade Arrangement period March 1973—February 1974.

(iv) Those who have not attained the age of eighteen years (as on the date of this Public Notice).

Licensing Authorities

7. The importers are required to submit their applications for initial CCPs under 'Import First Scheme' to the respective licensing authority, on or before the 30th September, 1974, according to the jurisdiction shown below: –

Licensing Authority	*Jurisdiction Importers situated in*
Joint Chief Controller of Imports and Exports, New CGO Building, New Marine Lines, Churchgate, Bombay.	Maharashtra, Gujarat, New Kandla, Goa, Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli, Madha Pradesh, Andhra, Tamil Nadu, Pondicherry, Karaikal, Mahe, Yanam, Mysore, Kerala, Laccadive Minicoy and Amindive Island.
Joint Chief Controller of Imports & Exports, Central Licensing Area, Ind aprastha Bhawan, Indraprastha Estate, New Delhi.	Delhi, Rajasthan, U. P., Bihar, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Orissa, Assam, Nagaland, Meghalayaa Tripura, Arunachal, Manipur, Mizoram.
Controller of Imports and Exports, Central Revenue Building, The Mall, AMRITSAR.	Punjab, Haryana, Chandhigarh, Himacha Pradesh, Jammu & Kashmir.

NOTE.—Only the Head Office of an applicant firm will be permitted to apply on behalf of itself and all its branches, and the jurisdiction will depend upon the location of the Head Office.

Documents to be furnished

8. Subject to the provisions of the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedures, 1974-75, and paragraph 11 below, the importers should apply for CCPs in the prescribed form and manner indicating, *inter alia*, the c.i.f. value of goods together with Treasury Receipt showing payment of application fees and documents of past import (*vide* paargraph 22) relating to the best year's imports in the prescribed basic period in respect of specific goods applied for. Applications should be submitted complete in all respects alongwith the prescribed documents and the applicants should also quote their valid I.V.C. Registration/Exemption Number. Incomplete applications are liable to be rejected.

Invoices to be produced to the customs authorities

9. The invoice(s) relating to imports should be produced in duplicate to the customs authorities at the time of clearance of the goods and it should indicate clearly the quantity, the rate, total f.o.b. value, freight, insurance and total c.i.f. value of the goods imported. CCP(s) should be obtained before the goods are despatched from Afghanistan. If any imports are made without a valid CCP, such imports will be treated as unauthorised imports and dealt with accordingly under the Import Trade Control/Customs rules and regulations.

Counter-balancing trade

10. Trade with Afghanistan in respect of fresh fruits and Schedule 'B-I' and 'B-II' items shall be subject to a counter-balancing arrangement. The eligible participants can start the trade cycle either with import or with export, in accordance with the procedures laid down in this Public Notice.

Import First Scheme

11. Those who intend to start with imports from Afghanistan should apply for CCPs for the import of fresh fruits upto the value limits indicated below:—

(a) "Approved Importers"

to the extent of 70 per cent of the value of applicants past imports of fresh fruits from Afghanistan during the year August 1970—July 1971.

OR

to the extent of 50 per cent of the value of the applicant's best year's past imports of fresh fruits from Afghanistan in any of the 5 years namely, August 1967—July 1968 August 1968—July 1969, August 1969—July 1970, August 1970—July 1971 and August 1971—July 1972.

NOTE.—No applicant will be granted a CCP under both the categories stated above, i.e. he can apply either on the basis of 70 per cent of the past

imports during August 1970—July 1971 or on the basis of 50 per cent of the past imports in any of the 5 years as indicated.

NOTE.—If an "approved importer" finds its more advantageous to claim a CCP in the category of "others", he can do so provided he does not claim a CCP as an "approved importer". In such an event, the applicant will be required to produce a Bank Certificate in the prescribed proforma as also a Bank Guarantee equivalent to 50 per cent of the value of imports in order to ensure counter-balancing exports as required from applicants falling in the category of "others". Such an applicant will not be eligible to apply as an "approved importer" until after he has fully discharged his counter-balancing export obligation against the CCP obtained by him in the category of "others".

(b) "Others"

to the extent of the value of the applicant's best year's import of fresh fruits from Afghanistan in any of the two years, namely, March 1972 to February 1973 and March 1973 to February 1974, but not exceeding Rs. 25,000 (Rupees Twenty-five thousand only) subject to the production of bank guarantee equivalent to 50 per cent of the value applied for in order to ensure counter-balancing exports. In addition, they are also required to furnish the following certificates:—

(i) A certificate from a Chartered Accountant to the effect, that they had an internal turn-over of Rs 25,000 (Rupees Twenty-five thousand only) during any one of the financial years *i.e* 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71 and 1971-72 in the goods, other than hides and skins, listed in Schedule A, B-I or B-II of Annexure II to this Public Notice.

(ii) A certificate from a scheduled Bank in the following proforma:—

BANK CERTIFICATE

Issue No ——— ——————— Date ——————

This is to certify that M/s ——————— are banking with us. They enjoy good reputation. They have applied for the grant of a CCP/approval of E.P. of the value of Rs. ——— (Rupees ——————). They are dealers in ——————— and in our judgement they have the financial capability of transacting this business and payment of customs duties.

Signature and Stamp of the Officer authorised by the Bank.

NOTE.—No applicant will be granted a CCP for the same item, under more than one category, *i.e.* he can apply either under (a) or under (b) above.

Computation of past imports

12. It may be clarified that:—

(i) for computing past imports under Para 11, only such imports as were actually cleared from the Customs during the basic period for consumption in India (after payment of import duty), will be taken into account;

(ii) It will not be necessary for an "approved importer" to obtain a single CCP covering his entire initial entitlement under this Public Notice. He can, if so desired, obtain more than one CCP for fresh fruits as long as the value of all the CCPs together does not exceed his initial entitlement, as referred to in sub-paragraph 11(a) above.

Counter-exports against imports

13. (1) CCPs for import of fresh fruits from Afghanistan will be granted to eligible applicants subject to the condition that the licensee shall export to Afghanistan the goods in Schedules B-I and B-II of a value equal to the value of imports, within a period of six months from the date of import or upto 28th February, 1975 whichever is earlier. It will also be a condition of the CCP that not less than 50 per cent of the counter-balancing exports shall be of items listed in Schedule B-II.

13. (2) The Export of Schedule B-II items shall take place either before the export of Schedule B-I items or concurrently with the export of Schedule B-I items.

13. (3) Importers are cautioned that the period allowed for completion of the counter-export obligation will not be extended under any circumstances. The traders should, in their own interest, ensure that they are in the position to discharge their counter-export obligation in terms of this Public Notice, within the prescribed time-limit, and in the prescribed ratio for items in Schedule B-I and Schedule B-II before they apply and obtain a CCP. In the event of their failure, for whatsoever reason, to fulfil the conditions subject to which the CCPs are granted to them, they will render themselves ineligible to receive any further CCP apart from any other action that may be taken under the Imports and the Exports Trade Control/Foreign Exchange Orders, rules and regulations.

Further CCPs to be issued on completion of 80 per cent export obligation

14. An importer will be eligible to apply for a fresh CCP as soon as he completes his counter-export obligation (in the required proportion) to the extent of 80 per cent of the value of his earlier CCP. This, however, does not absolve him from his counter-export obligation equal to 100 per cent of the value of imports, being fulfilled as indicated in para 13 above; and this counter-export obligation is required to be fulfilled within a period of six months or 28th February, 1975, whichever is earlier.

E.P. Forms to be approved by the Reserve Bank

15. E.P. Forms covering counter-exports to Afghanistan will be approved by the Reserve Bank of India if they are otherwise in order. The E.P. Forms would be valid for a period of 30 days from the date of issue or upto the 28th February, 1975, whichever is earlier.

'Export First' Scheme

16. Those who have past exports to their credit and intend to start with exports to Afghanistan will be required to approach the Reserve Bank of India for approval of E.P. Forms. The E.P. forms for exports of Schedule B-I and B-II items will be approved by the Reserve Bank of India upto 25 per cent of the value of the applicant's best year's actual exports to Afghanistan made in any of the five years, namely, August 1967—July 1968, August 1968—July 1969, August 1969—July 1970, August 1970—July 1971 and August 1971—July 1972 or upto the value of Rs. 25,000 (Rupees Twenty-five thousand only), whichever is higher. Such approval will be given only in cases, where the value of Schedule B-II items is not less than 50 per cent of the total value of exports to be made. No. E.P. Forms would be approved by the Reserve Bank of India after 1st December, 1974. Exports under the scheme would be permitted upto 31st December, 1974. Applications for CCPs for counter-imports would be entertained by the licensing authorities upto 15th January, 1975 only.

Counter-Imports against Exports

17. (1) E.P. Forms covering exports to Afghanistan will be approved subject to the condition that the exporter shall import fresh fruits from Afghanistan of a value equal to the value of exports, within a period of six months from the date of export or upto 28th February, 1975, whichever is earlier. The exporter will be required to execute a bank guarantee equal to 50 per cent of the value for which the E.P. Form has been approved for the fulfilment of the counter-import obligation.

17. (2) Exporters are cautioned that the period allowed for completion of counter-import obligation will not be extended under any circumstances. The traders should, in their own interest, ensure that they are in the position to discharge their counter-import obligation in terms of this Public Notice, within the prescribed time-limit, before they apply and get their E.P. Form approved. In the event of their failure, for whatsoever reason, to fulfil the conditions subject to which E.P. Forms covering exports to Afghanistan were approved by the Reserve Bank of India, they will render themselves ineligible for participation in the Indo-Afghan trade apart from any other action that may be taken under the Imports and the Export Trade Control/Foreign Exchange, orders rules and regulations.

Further EP Forms on completion of 80 per cent import obligation

18. An exporter will be eligible to apply for approval of further E.P. forms for exports as soon as he completes his counter-import obligation in respect of earlier E.P. Forms to the extent of 80 per cent. This, however, does not absolve him from his counter-import obligation equal to 100 per cent of the value of exports, being fulfilled as indicated in para 17 above; and this counter-import obligation is required to be fulfilled within a period of six months or 28th February, 1975, whichever is earlier.

Bonds with Bank Guarantees to be furnished to the licensing authorities

19. Bonds with Bank Guarantee in fulfilment of counter-import/export obligation as referred to in paragraphs 11 and 17 above shall be furnished to the licensing authorities mentioned in paragraph 7, who will watch performance and enforce the guarantee. It may be clarified that in cases where bank guarantee is required, the importer/exporter will have to furnish the same in respect of each application for the grant of CCP for import or for the approval of each E.P. form for exports, as the case may be. In the event of the party's failure to discharge the counter-obligation within the stipulated period and to furnish documentary evidence in support thereof, the amount of bank guarantee will be liable to forfeiture, without prejudice to any other action that may be taken in this behalf, including disqualification from participating in the Indo-Afghan trade in future. The documentary evidence to be produced in support of fulfilment of counter-obligation will be the same as indicated in paragraph 22 below. In addition, the importers/exporters will be required to submit information monthly in respect of imports/exports and the counter-balancing obligations fulfilled by them in the enclosed proforma (Annexure III) so as to reach the licensing authorities concerned by the 7th of the succeeding month.

Specimens of Bond Bank Guarantee Forms

20. The specimens of the bond/bank guarantee forms to be furnished by importers/exporters are given in Annexures IV and V respectively. It may be noted that the bond has to be countersigned by a scheduled bank, as a surety in token of their undertaking to pay the guaranteed amount to the licensing authority in the event of default on the part of the importer/exporter. The bond form must be signed by an officer duly authorised by the bank in this behalf. It may also be noted that bonds are to be furnished on a stamp paper or on a plain paper affixed with special adhesive stamps of the appropriate value, and impressed with the dating machine, by a proper officer.

Export Performance Guarantee from the ECGC

21 The importers/exporters, who find difficulty in depositing the full amount of cash with their banks in order to secure the requisite 'Bank Guarantee', may approach their bankers, if they so desire, to obtain the 'export performance guarantee'* on their behalf, from the E.C.G.C. (Export Credit and Guarantee Corporation of India, Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Bombay-1).

Documentary evidence to be produced

22. The following documents will constitute documentary evidence to be furnished in support of imports and exports:—

Imports.—Triplicate copy of the Customs Bill of Entry and the relevant invoices attested by Customs, and, in case the transaction has been carried through banking channels, bank memos.

Exports.—Shipping Bills duly certified by the Customs and invoices duly certified by the Customs, which should indicate the value and other details of Schedule 'B-I' and 'B-II' products actually exported.

*The 'Export Performance Guarantee' has been evolved by ECGC, to help importers/exporters to secure, on easier terms, bank guarantees they have to furnish in course of their import/export business. For giving the guarantee the banks require the exporters to deposit varying amounts of cash, depending on their standing. To the extent they have to make a cash deposit, their resources are blocked. This guarantee seeks to help the importers/exporters to obtain the bank guarantee without making any cash deposit or against a reduced margin of deposit.

Validity of CCPs

23. In terms of this Public Notice, no CCPs would be issued by the licensing authorities after 31st January, 1975, either under the Import First Scheme or under the Export First Scheme. CCPs will be valid for three months from the date of issue, or upto 28th February, 1975, whichever is earlier.

Distribution of CCPs

24. The Customs Authorities will send the 'Customs' copy of CCP to the concerned licensing authority direct, indicating the actual utilisation of the quantity and the value covered by each CCP in the prescribed form on the reverse of the permit. The second copy will, as at present, be handed back to the importer to be furnished to Reserve Bank of India, duly stamped and signed.

Distribution of Transit Certificates

25. The importers while presenting the CCP to the Customs Authorities concerned will produce five copies of the Transit Certificates issued by the Afghan Government. One copy of the transit certificate will be retained by the Customs, the second copy will be forwarded to the Reserve Bank of India, and the third and the fourth copies will be sent by them to the Office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, for onward transmission to the Afghan Government and Indian Embassy in Kabul. The fifth copy is to be forwarded by the Customs Authorities to the licensing authority concerned.

Imports to be made on outright purchase basis

26. Imports and Exports between India and Afghanistan will take place only on outright purchase basis.

Method of valuation for counter-exports to Afghanistan

27. The following will be the method of valuation of Afghan goods for determining the value of counter-exports to be made from India to Afghanistan during the current Trade Arrangement period:

Afghan goods should be valued on the basis of the value as accepted or determined by the Indian Customs on scrutiny of sale invoices. However, the element of freight and insurance from Karachi to Bombay paid by the importers in Indian rupees should be excluded from the valuation. The value of counter-exports should be equal to the value of imports as determined in the manner indicated above.

Manner of Payment

28. Payment for fresh fruits imported from Afghanistan and export of Schedule 'B-I' and 'B-II' goods to that country under this Public Notice will be made, in accordance with the E.P. Procedures prescribed by the Reserve Bank of India. Payments for imports and exports of commodities not covered by Schedule 'A', 'B-I' and 'B-II' (i.e. Schedule 'C' items) shall be made by establishing letters of credit in transferable U.S. Dollars or Pound Sterling.

Production of Landing Certificate

29. Import and export of goods from and to Afghanistan will be permitted subject to the condition that in respect of export of Schedule B-I items from India to Afghanistan, the exporter shall produce a Landing Certificate to the concerned Licensing Authority in India as well as to the Reserve Bank of India, issued by the Afghan Customs Authorities, within 30 days of *despatch* of the goods, in case they are sent by air, and within 90 days of *despatch* of the goods in case they are sent by sea/land route. Failure to produce the requisite landing certificate will render the exporter/importer concerned liable to penal action under the Imports and the Exports Trade Control/Foreign Exchange rules and regulations.

No diversion to third countries

30. (1) It is agreed between the two Governments that the goods imported by either country from the other would be used only for consumption in the country of import. Serious notice will be taken of cases where goods imported from or exported to Afghanistan are diverted to a third country.

30. (2) Exporters of Schedule 'B-I' commodities shall also have to produce certificates of clearance through Afghanistan Customs as indicated in paragraph 29. For this purpose, a photostat copy or a certified copy of the document showing clearance through Afghanistan Customs shall be produced by the exporter to the Indian Customs Authorities, as indicated in paragraph 29.

Trade should desist from abusing the system. Maintenance of reasonable prices

31. Trade is advised to ensure that the existing system is used in the interest of consumers/producers in India and Afghanistan and that the Trade Arrangement secures the common objectives of healthy growth and diversification of trade between the two countries. They should also ensure that reasonable prices are charged and efficient after sales-service is maintained wherever necessary. Appropriate penal action will be taken if the trade arrangement is used to the disadvantage of producers and the healthy growth and diversification of trade between the two countries.

ANNEXURE I

INDO-AFGHAN TRADE ARRANGEMENT FOR 1972-73

A delegation from Afghanistan led by H.E. Mr. M. Aref Ghaussi, Minister of Commerce, Royal Afghan Government and or delegation from India led by Shri L. N. Mishra, Minister of Foreign Trade, Government of India, held trade talks in New Delhi from February 18 to February 20, 1972.

2. The two delegations reviewed the working of Indo-Afghan trade in all the aspects during the preceding three years and discussed the Trade Arrangement for 1972-73. They noted that progress towards diversification of trade has been limited. The two delegations re-affirmed their resolve to promote, develop and diversify trade between India and Afghanistan to mutual advantage, to eliminate concentration of Trade and to remove difficulties that have arisen in the existing system.

3. The Government of India and the Royal Government of Afghanistan agreed that they would provide facilities for setting up a plant in Afghanistan through joint venture for the production of extracts of medicinal herbs and plants grown in Afghanistan. India offered to make use of these extracts for its own pharmaceutical industry for a period of 20 years. Afghanistan expressed its desire to purchase medical and surgical instruments and other surgical supplies manufactured in India. The two Delegations further agreed to import drugs and medicines manufactured in the two countries. As a step forward towards this, the concerned authorities of the two Governments would permit the registration of medicines manufactured in the two countries in their National Formulary, if any, subject to the satisfaction of prescribed standards of purity and quality.

4. In accordance with the provisions of Article 15 of the Treaty of 1950 between the Royal Afghan Government and the Government of India, and subject to their respective import, export and foreign exchange regulations and the special trade arrangement that may be concluded between the two Governments from year to year, the two Governments re-affirmed their agreement to the following:—

(a) Import of Schedule 'A' commodities from Afghanistan will be permitted to any person into India whose imports are counter-balanced by exports of Schedule 'B-I' and 'B-II' commodities from India in the prescribed proportion.

(b) Export of Schedule 'B-I' and 'B-II' commodities from India will be permitted in the prescribed proportion to any person whose exports are counter-balanced by imports from Afghanistan of Schedule 'A' commodities.

(c) Payment of imports and exports of commodities not covered by Schedule 'A', B-I and B-II shall be made by establishing letters of credit in transferable U.S. Dollars or Pound Sterling.

(d) The special self-balancing account maintained by the Afghanistan Bank with the State Bank of India will continue to be utilised to facilitate imports of hides and skins on a liberal basis against exports of goods and services from India.

5. It is the understanding between the Government of India and the Royal Government of Afghanistan that the goods imported by either country from the

other would be used for consumption in the country of import, and effective steps would be taken to prohibit and prevent their diversion to third countries.

6. The two Governments will consult with each other periodically to review the above arrangements with a view to removing any difficulty in the working of this arrangement.

7. This trade arrangement will come into force from 1st March, 1972 and will remain valid for one year. Unless either Contracting Party given notice of termination or amendment one month prior to the expiry of this arrangement, it will automatically be extended by a further period of one year. On the expiry of the second year of the arrangement, unless either Contracting Party gives notice of termination or amendment, one month prior to the expiry of the second year, it will automatically be extended by a further period of one year.

Signed at New Delhi this Twentieth day of February, 1972.

(Sd.) M. AREF GHAUSSI,
Minister of Commerce,
Royal Afghan Government
Leader,
Afghan Trade Delegation.

(Sd.) L. N. MISHRA,
Minister of Foreign Trade,
Government of India,
Leader,
Indian Trade Delegation.

ANNEXURE II

SCHEDULE 'A'

Commodities for export from Afghanistan to India

Fruits (Dry and Fresh all kinds).

Asafeetida.

Cumin Seeds.

Hides and Skins.

(Medicines, Extracts of Medicinal Herbs and Plants produced in Afghanistan). — Import of these items is suspended for the time being.

Medicinal herbs (detailed as under):

English	*Parsh*
Hysep	Zoofa.
Rosa Rose Flower (dried).	Gule Golab.
Buglass (Borage).	Gule Gazaban.
Quince (Borage).	Hed-Benna.
White and red Behmen (Urdu).	Behirane (Safid wa Serk'
Jujube	Onnab
Ratanjot (Hindi).	Yarland.
Manna	Turanjabeen.
Deroncum	Darawenj.
Manna (taken from Atrapharis Spinosa).	Sheer-Khest.
Liqueric (Mulathi).	Shireen Boia.
Wild Carret.	Shakakul.

Any other commodity that may be agreed upon between the two Governments.

SCHEDULE B-I

Commodities for Export from India to Afghanistan

1. Tea (Black)—other than C.T.C. and dust.
2. Tea (Green)—including dust.
3. Coffee.
4. Cardamom (Big and Small).
5. Pepper.
6. Tobacco—raw and unmanufactured.
7. Coir and Coir Products.
8. Dyeing and Tanning Substances (Natural).
9. Myroblam and Myroblam extracts.
10. Leather Manufactures imported by private parties.
11. Jute Manufactures imported by private parties.
12. Cotton Yarn, Cotton Twist and Cotton Thread.

SCHEDULE B-II

Commodities for Export from India to Afghanistan

1. *Fabrics*:

 Mill made and handloom, including sarees of cotton, rayon and wool; hosiery and knitted garments of cotton, rayon and wool; other manufactures of cotton, rayon and wool; Fabrics and other manufactures of silk excluding sarees fabrics, sarees, scarves and zari.

2. *Feed Products*:

 Confectionery.
 Fish—dried and salted.
 Fish Prawns—dried.
 Preserved Mango and other vegetable products.
 provisions and oilman's stores.
 Sage.
 Tapioca and its products.
 Cane Jaggery/cane jaggery powder (India Gur).

3. *Agricultural Products*:

 Hydrogenated oils, i.e. Vanaspati or vegetable ghee.
 Vegetable oils and Oilseeds.

4. Chemical Products and Soaps.

 Chemicals and Chemical preparations.

5. *Pharmaceuticals*:

 (Drugs, Medicines and Antibiotics). Export of these items will remain suspended for the time being.
 Sera and Vaccines.
 Alkaloids of opium and its derivatives.
 Naphthalane.
 Soap—toilet and household.
 Toilet requisites and perfumery.
 Paints, pigments and varnishes.

6. *Engineering goods*:

Printing machinery.
Diesel engines.
Pumps driven by diesel engines and electric motors.
Sewing machines.
Bicycles and their parts.
Textile machinery such as carding machinery and
Weaving Looms.
Machine tools.
Handtools and small tools, small rivercrafts.
Sugarcane crushing machinery.
Rice, Flours and oil crushing machinery.
Ball bearings.
Agricultural implements.
Automobiles parts other than those sent as spares with automobiles.
Gliders.

7. *Electrical Goods*:

Electrical appliances and accessories such as conduit pipes, switches, bells, holders, cut-outs etc.
Electrodes.
Electric bulbs and tubes.
Electric fans and their parts.
Electric Torch lights.
Batteries (dry and wet).
Electric motors.
Ebonite Sheets, rods and tubes.
Cables and Wires.

8. *Household and Building requirements*:

Utensils including stainless steelware.
Cooking ranges, heaters, electric iron, toasters, kettles etc.
Household electrical fittings and fixtures.
Roofing tiles.
Bricks.
Linoleum.
Sanitary ware.
G.I. Pipes and fittings.
Manhole cover and plates.
Kerosene stoves.
Incandescent oil pressure lamps.
Safes, strong boxes and room fittings.

9. *Hardware*:

Locks and padlocks.
Cutlery.
Bolts, nuts, screws and hinges.
Steel furniture and hospital appliances.
Scientific instruments of all types.
Weighing machines.
Surgical and medical instruments.
Steel buckets.

10. *Rubber Manufactures*:
Tyres and Tubes.
Other rubber manufactures.

11. Leather Manufactures
Imported by Government or Government Undertakings.
Artificial leather goods.

12. Handicrafts and Cottage Industry Products.
Stationery and Paper.

13. *Miscellaneous*:
Exposed Cinema Films imported by Government or Government Undertakings.
Commercial decorative plywood.
Glassware including tableware, glass bottles and bangles.
Artificial porcelain teeth.
Synthetic stones.
Books and printed matters.
Cigarettes.
Postage stamps.
Refined mineral oils.
Bichromates.
Sports goods.
Firebricks and fireclay.
Ropes.

14. Jute Manufactures imported by Government or Government Undertakings.

15. Any other commodities agreed upon between the two Governments.

SCHEDULE 'C'

Illustrative List of Products available for Exports from India

1. *Machinery and Plants and Parts thereof* e.g.
(i) Mining Machinery and Equipment.
(ii) Canning Machinery and parts thereof.
(iii) Slaughter House Machinery.
(iv) Cement Plants.

2. *Road Making and Construction Machinery* e.g.
(i) Cement mixers.
(ii) Vibrators.
(iii) Stone crushers.
(iv) Polishing equipment.
(v) Road Rollers.
(vi) Bulldozers.

3. Iron and Steel Construction Materials not mentioned under the heading 'Hardware' in Schedule 'B'.

4. Petrol Pumps.

5. Electric Generation, distribution and Sub-station equipment including portable and fixed generators.

6. Water treatment, sewage and Public Health Engineering Products.

7. *Telecommunication Equipment e.g.*

Telegraph and Telegraph Apparatus and Equipment, Telephone Equipment etc.

8. Motor vehicles e.g. trucks, buses, dumpers, and jeeps including parts and ancillaries imported without motor vehicles.

9. Wood working machinery.

10. Refrigerators.

11. Tractors.

12. Compressors.

13. Lathes.

14. Graders.

15. Central Air-conditioning Equipment.

16. Accounting Machines.

17. Cutting tools.

18. Ferrous and Non-ferrous casting and forgings.

19. P.V.C. Products including P.V.C. Footwear.

20. Radio Receivers.

21. Cranes.

22. Sugar.

23. Other items not included in Schedules 'B-I' and 'B-II' to the Trade Arrangement.

ANNEXURE III

Form of affidavit to be filled in by Importer/Exporter

I/We hereby solemnly declare that the following statement is true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any CCP/E.P. approval granted to me/us on the basis of this statement is liable to cancellation, without prejudice to any other penal action that may be taken in this behalf, if any information furnished hereunder is found to be incorrect or false.

Particulars of CCP
C. C. P. No.————————
Date of issue ————————
Description of goods ————————
Value ————————

Signature ————————
Name in block letters ————————
Name & address of the firm ————————

Particulars of E. P. approvals
E.. P. Form No. ————————
Date of issue ————————
Description of goods ————————
Value ————————

	IMPORTS					EXPORTS							
For the month ending	Item of import	C.A.V./C.A.W. of imports made under CI.Ps of the current Agreement period		Adjustments due to the transfers.		Total Rs.	Schedule B.-I items (value) Rs.	Schedule B-II items (value) Rs.	Total (value) Rs.	Percentage of		Percentage of Excess (+) Shortfall (—)	
		C.A.V.	C.A.W.	Add. Rs.	Deduct Rs.					B—I items	B—II items.	(B—I) items	(B—II) items.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	B.F.												
(i)	give progressive totals of previous months of each item*).												
(ii)	 (give month and year and also specify the items)*.												

* The items are :—

1. *Fresh Fruits*
 Grapes, Pomegranates and others.
2. *Dry Fruits* :
 I. Almonds—Soft Shell, Hard Shell, without Shell.
 ii. Pista—with Shell, without Shell.
 iii. Raisins and other dry fruits 3.
3. Asafoetida. 4. Cumin seeds. 5. Medicinal Herbs.

ANNEXURE IV

Specimen Bond form for Importers under the Indo-Afghan Trade Arrangement

Know all Men by these presents that we (1)————————of (hereinafter referred to as "the importers")* which expression shall include his/their successors and assigns and (2)

of (hereinafter referred to as "the surety") which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, include its successors and assigns are jointly and severally held and firmly bound upto the President of India hereinafter called "the Government" in the sum of Rs.————————to be paid to the said Government or its successors and assigns for which payment we bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators, successors and assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally by these presents

dated this date

of

"WHEREAS the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Eports/(hereinafter referred to as the Joint/Deputy Chief/Controller) which expression shall include the person for the time being performing the duties of the said Joint/Deputy Chief/Controller has agreed to permit the importation of fresh fruits from Afghanistan subject to the production of a Bank Guarantee equivalent to *fifty per cent* of the value of imports, as provided in the Ministry of Commerce Public Notice No. 108-ITC(PN)/74 dated 31st July, 1974.

AND WHEREAS one of the terms in the aforesaid Public Notice provides that the importers will execute a bond alongwith one sufficient surety in the manner herein above written with such conditions as are hereunder.

NOW THE CONDITION OF THE ABOVE WRITTEN BOND IS SUCH that firstly, if the said importers shall within six months from the date of import ———— or such further time as may be granted by the said Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports, ———— export items as mentioned in Schedule B-I and B-II attached to the said Public Notice, to Afghanistan in such a manner that not less than *fifty per cent* of the value of exports consists of Schedule B-II items, and that export of Schedule B-II items takes place either prior to the export of Schedule B-I items; or concurrently with the export of Schedule B-I items; and that the total value of exports to be made will be equal to the customs assessed value of goods imported from Afghanistan.

Secondly, if the said importers and/or surety shall procure and deliver or cause to be procured and delivered to the Joint/Deputy Chief/Controller within one month from the date of expiry of the aforesaid period evidence to prove that the said exports of the value equal to 100 per cent (Hundred per cent) of the customs assessed value of the imported goods have been exported as aforesaid and also documentary evidence such as prescribed in paragraph 22 of the Ministry of Commerce Public Notice No. 108-ITC(PN)/74, dated the 31st July, 1974 showing that the value of exports effected to Afghanistan is according to the prescribed ratio and is not less than 100 per cent of the total customs assessed value of imports, then the above written bond will be void and of no effect. Otherwise, the bond will remain in full force and virtue.

AND IT IS HEREBY DECLARED THAT

(a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of 15 months from the date of importation of the said imported goods.

(b) Any forebearance act or omission on the part of the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the importers or any time being granted or any indulgence by the Government to the importers in connection therewith shall not discharge the surety.

*If the importer/surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added, "his heirs, executors and administrators".

If the Importer/surety is a firm of partnership, it may be added "partners for the time being of the said firm and the survivors of the firm and their respective heirs, executors and administrators".

If the Importer/surety is a limited company it may be added "its successors and assigns".

(c) That this bond is entered into under the order of the Central Government for the performance of an act in which the public are interested.

(d) That the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the importers to any other action (including refusal of further CCPs.) that may be taken under the Import Trade Control regulations.

(e) That the liability of the importers under this guarantee shall not stand discharged, if the imports are transferred to some other party.

The stamp duty on this bond shall be paid by the importer.

In witness whereof the parties hereto have duly executed these present day and the year first above written.

Signed sealed and delivered by the ——————————— within named importers. In the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address).

Signed, sealed and delivered by the ——————————— within named surety in the presence of

1.

2.

(Witness should also give their occupation and address)

for and on behalf of the President of India

ANNEXURE V

Specimen Bond form for Exporters under the Indo-Afghan Trade Arrangement

Know all Men by these presents that we (1).....
.....of.....

(hereinafter called as "the Exporters")* which expression shall include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns and (2).....of.....

(hereinafter called 'the surety') which expression shall, unless excluded by or repugnant to the context, include his/their respective heirs, executors, administrators and legal representatives/successors and permitted assigns are jointly or severally hold and firmly bound upto the President of India hereinafter called "the Government" in the sum of Rs.....
to be paid to the said Government or its successors and assigns through Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports, for which payment we bind ourselves and each of us and each of our heirs, executors, administrators, legal representatives/successors and permitted assigns (strike out the words which are not applicable) jointly and severally by these presents.....
dated this..... dated.....of.....

Whereas the Reserve Bank of India.....has permitted the export of Schedule B-I and B-II items against E.P. Form No. dated subject to the production of a bank guarantee equivalent to 50% of the value of exports, thus permitted, with a proviso that the value of exports of Schedule B-II items, in each case, is not less than 50% of the total value of exports, as indicated in the Ministry of Commerce Public Notice No. 108-ITC(PN)/74 dated the 31st July, 1974.

*If the exporter/surety is the sole proprietor of the business after giving his name and address it may be added, "his heirs, executors and administrators".

If the exporter/surety is a firm of partnership, it may be added" partners for the time being of the said firm and the survivors of firm and their respective heirs, executors and administrators".

If the exporters/surety is a Limited Company it may be added "its successors and assigns".

And whereas one of the terms provides that the exporters will execute a bond alongwith one sufficient surety with the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports Government of India, which expression will include the person for the time being performing the duties of the Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports..... in the manner herein above written with such conditions as are hereunder.

Now the condition of the above written Bond is such that firstly, if the said exporters shall within six months, or such further time as may be granted by the said Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports import permissible commodities as specified in Schedule 'A' of the Ministry of Commerce Public Notice No. 108-ITC(PN)/74 dated 31st July, 1974 of the value equal to the value of the goods exported to Afghanistan under the Indo-Afghan Trade Arrangement for 1974-75.

Secondly if the said exporters and/or their surety will procure and deliver or cause to be procured and delivered to the Reserve Bank of India and Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports.....within six months or suh further time as may be granted by the said Joint/Deputy Chief/Controller of Imports and Exports....., evidence to prove, that the said imports of the value equal to 100% of the value of exports to Afghanistan have been effected, as aforesaid, and also documentary evidence such as prescribed in Paragraph 22 of Public Notice referred to above, showing that the value of imports effected from Afghanistan is not less than hundred per cent of the value of the goods exported to Afghanistan against the E.P. Form referred to before, then the above written bond will be void and of no effect. Otherwise, the bond will remain in full force and virtue.

And it is hereby declared that

(a) The above written bond shall remain in full force and effect for a period of 15 months from the date of export of the said exported goods.

(b) Any forebearance act or omission on the part of the Government in enforcing the conditions of the aforesaid bond against the exporters or any time being granted or any indulgence by the Government to the exporters in connection therewith shall not discharge the surety.

(c) That this bond is entered into under the orders of the Government of India for the performance of an act in which the public are interested.

(d) That the payment of the amount of the bond will not affect the liability of the exporters to any other action (including refusal of further export permits) that may be taken under the Export Trade Control regulations.

(e) That the liability of the exporters under this guarantee shall not stand discharged, if the exports are transferred to some other party.

The stamp duty on this bond shall be paid by the exporters.

In witness whereof the parties hereto have duly excuted these present day and the year first above written.

Signed, sealed and delivered by the.....within named exporters. In the presence of.....

1.....

2.....

(Witness should also give their occupation and address).

Signed, sealed and delivered by the withm named surety in the presence of.....

1.....

2.....

(Witness should also give their occupation and address).

For and on behalf of the President of India.

B. D. KUMAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1974

विषय.—1-3-74 से 28-2-1975 तक अफगानिस्तान से नारियल, काजू तथा खजूरों को छोड़ कर सभी प्रकार के ताजे फलों [क्रम संख्या 21 (ए) (1)/4] का आयात ।

सामान्य व्यापार व्यवस्था

स० 108-आई०टी०सी० (पी०एन०)/74—20 फरवरी 1972 को भारत और अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षरित सामान्य व्यापार व्यवस्था अनुबन्ध 1 में पुनः उद्धृत की जाती है ।

पात्र आयातक/निर्यातक

2. अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात के लिए तथा भारत से (देखिए अनुबन्ध-2) अनुसूची बी-1 तथा अनुसूची बी-2 में उल्लिखित पण्यवस्तुओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित से आए हुए आवेदन पत्रों पर विचार इस सार्वजनिक सूचना में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाएगा :—

(1) पूर्ववर्ती व्यापार व्यवस्थाओं के अन्तर्गत "अनुमोदित आयातक", तथा

(2) "अन्य"

3. सूखे फलों, हींग, जीरे के बीजों तथा औषधीय बूटियों के आयात के लिए नीति को बाद में घोषित किया जाएगा ।

"अनुमोदित आयातकों" की परिभाषा

4. "अनुमोदित" आयातक ये हैं:—

(1) 30-6-56 को अन्त होने वाले चार वर्षों के दौरान जिन्होंने उन पण्यवस्तुओं में भारत-अफगान व्यापार में हिस्सा लिया है और जो पहले से ही उस रूप में पंजीकृत हैं, और

(2) 'अनुमोदित आयातकों के रूप में' पहले ही पंजीकृत अफगान सरकार की नामित फर्म है ।

"अन्य" की परिभाषा

5. "अन्य" (जो 'अनुमोदित आयातक' नहीं हैं) वे हैं जो भारत के निवासी हैं और भारत में अनुसूचित बैंक द्वारा प्रमाणित रूप में व्यापार निष्पादन करने के लिए आवश्यक आर्थिक क्षमता रखते हैं, और अनुसूची ए, बी-1 या बी-2 में सूचीबद्ध मदों के व्यापारी हैं (देखिए

इस सार्वजनिक सूचना का अनुबन्ध–2) और जिन्होंने 28–2–1974 को समाप्त होने वाले दो वर्षों में से किसी एक वर्ष के दौरान उन पण्यवस्तुओं में भारत-अफगान व्यापार में भाग लिया है

(1) भारत के नागरिक है, यदि वे (क) व्यक्ति हैं या (ख) परिवार व्यापार के सम्बन्ध में अविभाजित हिन्दू परिवार के कर्ता हैं ।

या

(2) वे भारतीय कम्पनी है,

या

(3) यदि वे एक फर्म है, एक लि० कम्पनी है या एक संघ है और भारत में पूर्णतः स्थित अपने व्यापारों का नियंत्रण और व्यवस्था रखते हैं ।

या

(4) सहयोग समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक सहयोग समिति है ।

भाग लेने के लिये अपात्र व्यक्ति

6. लेकिन, उपर्युक्त कण्डिका 4 तथा 5 में तथा परिभाषित "अनुमोदित आयातक (कों) अन्य (यों)" के भागीदारों/निदेशकों/स्वामियों तथा उनकी/ उनका पत्नी/पति या आश्रित रिश्तेदारों (जिसमें अविवाहित बच्चे भी शामिल है) को भारत-अफगान व्यापार में भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी । इस सम्बन्ध में आवेदकों के लिए यह आवश्यक है कि वे नीचे दिए गए के अनुसार सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को आवेदनपत्रों के साथ स्टाम्प कागज पर एक वचन पत्र भेजे :—

"हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि फर्म/कम्पनी के भागीदारों / निदेशकों/ स्वामियों में किसी ने, या उसकी पत्नी/उसके पति ने आश्रित सम्बन्धियों या अविवाहित बच्चों ने इस सार्वजनिक सूचना के अधीन अफगानिस्तान से ताजा फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए न तो कोई आवदन पत्र प्रस्तुत किया है या न करेगा ।"

हस्ताक्षर,

1. अभिसाक्षी——————

ओहदा——————

2. आवेदक फर्म ——————

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों की श्रेणियां भी भाग लेने के लिए अनुज्ञेय नहीं होंगी :—

(1) वे जो पिछली व्यापार व्यवस्थाओं में "अनुमोदित आयातकों" की सूची से अपंजीकृत कर दिए गए हैं । (लेकिन, वे 'अनुमोदित आयतक' जो चार साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहे हैं और जो सार्वजनिक सूचना संख्या 240-आई०टी०सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 4–11–68 के अनुसार अपंजीकृत किए गए हैं, यदि वे इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार अन्यथा पात्र है, तो उनको इस व्यवस्था में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी),

(2) वे जो आयात/निर्यात लाइसेंस या रिहाई आदेश प्राप्त करने से आयात/निर्यात व्यापार नियंत्रण नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत वंचित कर दिए गए हैं,

(3) वे जिनके प्रारम्भिक वर्षों में अफगानिस्तान से आयातों और अफगानिस्तान के निर्यातों के सम्बन्ध में प्रति संतुलन आभार अभी भी अपूर्ण है ।

टिप्पणी .—वे जिन्होंने भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था मार्च, 73—फरवरी, 74 में भाग लिया है, उनके लिए प्रति-निर्यात आभारों को पूरा करने के लिए अन्तिम तिथि को बढ़ा कर 31 अगस्त, 1974 कर दिया गया है देखिये सार्वजनिक सूचना संख्या 53—आई टी सी (पी एन) /74, दिनांक 11 अप्रैल, 1974। इसे नोट कर लिया जाए कि उन आयातकों का जिन्होंने मार्च, 73—फरवरी, 1974 अवधि के लिए भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था के दौरान किए गए आयातों के सम्बन्ध में अनुसूची बी—1 तथा बी—2 के बीच यथा उल्लिखित मदों के लिए अपने निर्यात आभारों को उपर्युक्त तिथि तक पूर्ण रूप में तथा निर्धारित अनुपात में पूरा नहीं किया है, उन्हें 31 अगस्त, 1974 के बाद किसी भी प्रकार का सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी नहीं किया जाएगा ।

(4) जिन्होंने (इस सार्वजनिक सूचना की तारीख को) 18 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर ली है ।

लाइसेंस प्राधिकारी

7. आयातक "आयात प्रथम योजना" के अन्तर्गत प्रारम्भिक निकासी परमिटों के लिए अपने आवेदन-पत्रों को नीचे प्रदर्शित अधिकार क्षेत्र के अनुसार सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को 30 सितम्बर, 1974 को या इससे पहले प्रस्तुत करें :—

लाइसेंस प्राधिकारी	अधिकार क्षेत्र जिसमें आयातक स्थित है
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, न्यू सी०जी०ओ० बिल्डिंग, न्यू-मेरिन लाइन्स, चर्चगेट, बम्बई-1	महाराष्ट्र, गुजरात, न्यू कांडला, गोवा, दमन, दिव, दादरा तथा नगर हवेली, मध्य प्रदेश, आन्ध्र, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कारिकल, माहे, यनम, मैसूर, केरल, लकादिव मिनिकाय और आमिन्दिव द्वीप ।
संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात- निर्यात (केन्द्रीय लाइसेंस क्षेत्र) इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-1	दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, प० बंगाल, अन्दमन और निकोबार द्वीप, उड़ीसा, असम, नागालण्ड, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोराम ।
नियंत्रक, आयात-निर्यात, सेन्ट्रल, रेवेन्यू बिल्डिंग, दि माल, अमृतसर	पंजाब, हरियाणा, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर ।

नोट .—आवेदक फर्म के केवल प्रधान कार्यालय को खुद के लिए तथा अपनी शाखाओं के माध्यम सी० सी० पी० के लिए आवेदन करने के लिए अनुमति दी जाएगी और क्षेत्राधिकार प्रधान कार्यालय की अवस्थिति पर निर्भर करेगा ।

प्रस्तुत किये जाने वाले प्रलेख

8. आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि, हैण्डबुक 1974–75 तथा नीचे की कण्डिका 11 की व्यवस्थाओं के अधीन, आयातकों को सीमाशुल्क निकासी परमिटों के लिए निर्धारित प्रपत्र में और विहित रीति से अन्य बातों के साथ-साथ माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य का संकेत कर राजकोष चालानों के साथ आवेदन किए गए विशिष्ट माल के सम्बन्ध में विशिष्टिकृत मूल अवधि में से सर्वोत्तम वर्ष के आयात के सम्बन्ध में आवेदन पत्र के शुल्क के भुगतान तथा आयात के भूतकालीन प्रलेखों (देखिए कण्डिका 22) को प्रदर्शित करते हुए आवेदन करना चाहिए। आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण और निर्धारित प्रलेखों के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिएं और आवेदकों को अपने वैध आई० बी० सी० पंजीकरण/छूट संख्या को भी उद्धृत करना चाहिए। अधूरे आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने वाले बीजक

9. किए जाने वाले प्रस्तावित आयातों के सम्बन्ध में बीजकों को माल की निकासी के समय सीमा शुल्क को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसमें मात्रा, दर कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य, भाड़ा, बीमा तथा आयातित माल का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। अफगानिस्तान से माल भेजने से पूर्व निकासी परमिट प्राप्त कर लेने चाहिएं। यदि बिना किसी वैध सीमाशुल्क निकासी परमिट के किसी प्रकार के आयात किए जाते हैं तो ऐसे आयात को अनधिकृत समझा जायेगा तथा आयात व्यापार नियंत्रण/सीमाशुल्क नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

प्रति संतुलन व्यापार

10. अफगानिस्तान के साथ ताजे फलों और अनुसूची 'बी 1 तथा 2' की मदों के सम्बन्ध में व्यापार प्रति-संतुलन व्यवस्था के अधीन होगा। पात्र भागीदार इस सार्वजनिक सूचना में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आयात के साथ या निर्यात के साथ व्यापार क्रम शुरू कर सकते हैं।

'आयात-प्रथम' योजना

11. वे जो अफगानिस्तान से आयात के साथ आरम्भ करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे नीचे निर्दिष्ट मूल्य सीमाओं तक ताजे फलों के आयात के लिए सीमा-शुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करें।

(क) **'अनुमोदित आयातक'**

अगस्त, 1970—जुलाई, 1971 वर्ष के दौरान अफगानिस्तान से आयातक के भूत में ताजे फलों के किए गए आयातों के मूल्य के 70 प्रतिशत तक के लिए

अथवा

किन्हीं 5 वर्षों अर्थात् अगस्त 67—जुलाई, 68, अगस्त, 68—जुलाई, 69, अगस्त, 69—जुलाई 70, अगस्त, 70—जुलाई, 71 तथा अगस्त, 71—जुलाई, 1972 में से किसी एक वर्ष में अफगानिस्तान से आयातक के भूत पूर्व ताजे फलों के सर्वोत्तम वर्ष के आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत के लिए।

टिप्पणी.—किसी भी आयातक को उपर्युक्त अल्लिखित दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत सीमा-शुल्क निकासी परमिट स्वीकृत नहीं किया जायेगा अर्थात् वह या तो अगस्त, 70—जुलाई, 71 के दौरान भूत में किए गए आयातों के 70 प्रतिशत के आधार पर आवेदन कर सकता है या उपर्युक्त संकेतित अनुसार 5 वर्षों में से किसी भी एक वर्ष के भूत में किए गए आयातों के 50 प्रतिशत के आधार पर आवेदन कर सकता है।

टिप्पणी.—यदि एक 'अनुमोदित आयातक' को 'अन्य' की श्रेणी में सीमा-शुल्क निकासी परमिट मांगना अधिक लाभदायक दिखाई पड़ता है तो वह ऐसा कर सकता है कि

बशर्ते कि वह "अनुमोदित आयातक" की हैसियत से सीमा-शुल्क निकासी परमिट नहीं मांगता। ऐसे मामले में आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में बैंक प्रमाण पत्र और प्रति संतुलन निर्यातों को सुनिश्चित करने के लिए आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर एक बैंक गारन्टी भी जैसा कि 'अन्य' की श्रेणी में आने वाले आवेदकों से अपेक्षित होती है, प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा आवेदक 'अनुमोदित आयातक' की हैसियत से तब तक आवेदन करने का पात्र नहीं होगा जब तक 'अन्य' की श्रेणी में उसके द्वारा प्राप्त किए गए सीमा-शुल्क निकासी परमिट के प्रति वह अपने प्रति संतुलन निर्यात आभार को पूर्णरूपेन पूरा नहीं कर लेता।

(ख) 'अन्य'

किसी भी दो वर्षों में अर्थात् मार्च 1972 से फरवरी, 1973 एवं मार्च 1973 से फरवरी, 1974 में से आयातक के सर्वोत्तम वर्ष के अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयातों के मूल्य की सीमा तक किन्तु 25,000 रुपए (पच्चीस हजार रुपए मात्र) से अधिक नहीं बशर्ते कि निर्यातों के प्रति-संतुलन का सुनिश्चय करने के लिए आवेदन किए गए मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर एक बैंक गारन्टी प्रस्तुत की जाए। इस के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करना भी उनके लिए आवश्यक है :—

(1) सनदी लेखापाल से इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र कि उन्होंने वित्तीय वर्षों अर्थात, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1970–71 और 1971–72 में से किसी एक वर्ष के दौरान इस सार्वजनिक सूचना के अनुबंध 2 की अनुसूची ए, बी, 1, या बी 2 में सूचीबद्ध चमड़े और खालों से भिन्न किसी माल का 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) का व्यवसाय किया है।

(2) अनुसूचित बैंक से निम्नलिखित प्रपत्र में एक प्रमाण पत्र।

बैंक प्रमाण पत्र

जारी करने की संख्या दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री
..... का हमारे साथ बैंक व्यापार है। वे एक ख्याति लब्ध फर्म हैं। उन्होंने रुपये के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट/ई० पी० अनुमोदन जारी करने के लिए आवेदन किया है। वे 5..... के व्यापारी हैं और हमारे निर्णयानुसार उनमें इस व्यापार को चलाने और सीमाशुल्क कर का भुगतान करने की आर्थिक क्षमता है।

बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर :

टिप्पणी.—किसी भी आवेदक को एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत सीमाशुल्क निकासी परमिट की स्वीकृति नहीं दी जाएगी अर्थात् या तो वह उपयुक्त (क) के अन्तर्गत अथवा (ख) के अन्तर्गत आवेदन कर सकता है।

भूतकालीन आयातों की संगणना

12. यह स्पष्ट कर लिया जाए कि :—

(1) पैरा 11 के अन्तर्गत भूतकाल में आयातों की संगणना करने के लिए केवल ऐसे आयात हिसाब में दिए जायेंगे जो सीमाशुल्क विभाग द्वारा बैसिक अवधि के दौरान में उपयोग के लिए (आयात कर चुकाने के बाद) निकासी कर दिए गए हों।

(2) एक "अनुमोदित आयातक" के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत वह अपनी सारी प्रारम्भिक हकदारी के लिए एक ही सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त करे। जैसा कि उपर्युक्त उपखंडिका 11(क) में उल्लेख किया गया है यदि वह चाहता है तो ताजे फलों के लिए एक से अधिक सीमाशुल्क निकासी परमिट तब तक प्राप्त कर सकता है जब तक सभी सीमाशुल्क निकासी परमिटों का मूल्य मिलाकर उसकी प्रारम्भिक हकदारी से अधिक नहीं हो जाता।

आयातों के बदले प्रति-निर्यात

13. (1) अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट पात्र आयातकों को इस शर्त के अधीन जारी किए जायेंगे कि लाइसेंसधारी आयात करने की तिथि से 6 महीने की अवधि या 28-2-75, इनमें जो अवधि कम हो उसके भीतर या उस तक आयातों के मूल्य के बराबर अनुसूची बी-1 और बी-2 के माल का अफगानिस्तान को निर्यात करेगा। सीमाशुल्क निकासी परमिट की यह भी शर्त होगी कि अनुसूची बी-2 में सूचीबद्ध मदों का निर्यात कुल प्रति-निर्यात के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

13. (2) अनुसूची बी-2 की मदों का निर्यात या तो अनुसूची बी-1 की मदों के निर्यात से पहले होगा या अनुसूची बी-1 की मदों के निर्यात के साथ साथ होगा।

13. (3) आयातकों को यह चेतावनी दी जाती है कि प्रति-निर्यात आभार को पूर्ण करने के लिए अनुमति अवधि किसी भी परिस्थिति में आगे के लिए नहीं बढ़ाई जाएगी। व्यापारियों को अपने निजी हित के लिए यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार वे आवेदन करने और सीमा-शुल्क निकासी परमिट प्राप्त करने से पहले निर्धारित समय सीमा के भीतर और अनुसूची बी-1 और बी-2 की मदों के लिए अपना प्रति-निर्यात आभार पूरा करने की स्थिति में हैं जिन शर्तों के अधीन उनको सीमा-शुल्क निकासी परमिट प्रदान किए गए हैं उनको पूरा करने में किसी भी कारण के लिए असफल रहने पर कोई अन्य कार्रवाई जो आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनिमय आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन उनके विरुद्ध की जा सकती है, की जाएगी उसके अतिरिक्त वे भविष्य में कोई सीमाशुल्क निकासी परमिट प्राप्त करने के लिए अपात्र कर दिए जायेंगे।

80 प्रतिशत निर्यात आभार पूर्ण हो जाने पर और सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी किया जाना

14. एक आयातक अपने पहले सीमाशुल्क निकासी परमिट के मूल्य के 80 प्रतिशत की सीमा तक अपना प्रति-निर्यात आभार (अपेक्षित समानुपात में) पूर्ण कर लेने के बाद नए सीमाशुल्क निकासी परमिट के लिए आवेदन करने का पात्र हो जाएगा। लेकिन, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 13 में निर्दिष्ट किया गया है, ऐसा करने से उन्हें जो आयातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर अपना प्रति-निर्यात आभार पूरा करना है। उससे मुक्त नहीं हो जायेंगे, और यह निर्यात आभार 6 महीने या 28 फरवरी 1975, इनमें से जो अवधि पहले हो, उसके भीतर पूर्ण कर लेना आवश्यक है।

रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले ई० पी० प्रपत्र

15. अफगानिस्तान को किए गए प्रति-निर्यातों से सम्बन्धित ई० पी० प्रपत्र, यदि वे अन्य सब प्रकार से सही होंगे तो रिजर्वबैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। ई० पी० प्रपत्र जारी करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के लिए या 28–2–75 तक, इनमें जो भी पहले होगा, उस तक वैध होगा।

"निर्यात प्रथम" योजना

16. जिनके भूतकालीन निर्यात बकाया हैं और जो अफगानिस्तान को निर्यात पहले करना चाहते हैं उन्हें ई० पी० प्रपत्रों के अनुमोदन के लिए रिजर्व बैंक आफ इंडिया से सम्पर्क करना होगा। अनुसूची बी-1 और बी–2 की मदों के निर्यातों के लिए ई० पी० प्रपत्र रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा पांच वर्ष अर्थात् अगस्त 1967—जुलाई, 1968 अगस्त, 1968—जुलाई, 1969, अगस्त 1969 जुलाई, 1970 अगस्त, 1970—जुलाई, 1971 अगस्त, 1971 5 जुलाई, 1972 में से जिस वर्ष में आवेदक ने अफगानिस्तान को सबसे अधिक वास्तविक निर्यात किए हैं उन निर्यातों के मूल्य के 25 प्रतिशत तक या 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) इसमें जो भी अधिक होगा, उस मूल्य तक रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। ऐसा अनुमोदन केवल उन मामलों में दिया जाएगा जिन में अनुसूची –बी–2 की मदों का मूल्य किए जाने वाले निर्यातों के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम नहीं है। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा 1–12–74 के बाद कोई भी ई० पी० प्रपत्र अनुमोदित नहीं किया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत निर्यातों की अनुमति 31–12–74 तक दी जाएगी। लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा प्रति आयातों के लिए सी० सी० पी० के लिए आवेदन पत्र केवल 15 जनवरी, 1975 तक ही लिए जाएंगे।

निर्यातों के बदले प्रति आयात

17. (1) अफगानिस्तान को निर्यातों से सम्बन्धित ई० पी० प्रपत्र इस शर्त के अधीन अनुमोदित किए जाएंगे कि निर्यातक निर्यात की अवधि से 6 महीने या 28–2–1975, इनमें जो भी पहले हो उस अवधि के भीतर निर्यातों के मूल्य के बराबर मूल्य के ताजे फल अफगानिस्तान से आयात करेगा। प्रति-आयात आभार पूर्ण करने के लिए निर्यातक को एक बैंक गारण्टी उस मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर के लिए निष्पादित करनी होगी जिसके लिए ई० पी० प्रपत्र अनुमोदित किया गया है।

17. (2) निर्यातकों को यह चेतावनी दी जाती है कि प्रति-आयात आभार को पूर्ण करने के लिए अनुमतिअवधि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी। अपने निजी हित के लिए व्यापारियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवेदन करने और अपने ई० पी० प्रपत्रों को अनुमोदित कराने से पहले निर्धारित समय-सीमा के भीतर वे अपने प्रति-आयात आभार का पालन करने की स्थिति में हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा जिन शर्तों के अधीन अफगानिस्तान को निर्यातों से सम्बन्धित ई० पी० प्रपत्र अनुमोदित किए गए थे उनको पूरा करने में असफल रहने पर किसी भी कारण के लिए जो कार्रवाई आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण/विदेशी मुद्रा विनिमय आदेशों, नियमों और विनियमों के अधीन की जा सकती है, की जाएगी उसके अतिरिक्त उन्हें भारत-अफगान व्यापार में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

80 प्रतिशत आयात आभार पूर्ण करने पर और ई० पी०प्रपत्र

18. एक निर्यातक पहले ई० पी० प्रपत्रों के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत की सीमा तक अपना प्रति-आयात आभार पूर्ण करने ही निर्यातों के लिए और ई० पी० प्रपत्रों के अनुमोदन के लिए आवेदन करने का पात्र हो जाएगा। लेकिन, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 17 में निर्दिष्ट किया गया है इससे वह अपने प्रति-आयात आधार जो निर्यातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर पूर्ण करना है उससे मुक्त नहीं

हो जाएगा, यह प्रति-आयात आभार 6 महीने या 28 फरवरी, 1975 इनमें जो अवधि पहले हो, उस के भीतर पूर्ण करना आवश्यक है ।

लाइसेंस प्राधिकारियों को बैंक गारंटियों के साथ प्रस्तुत किए जाने के लिए बांड्स्

19. उपर्युक्त पैरा 11 और 17 में यथा उल्लिखित प्रति आयात/निर्यात आभार को पूर्ण करने में बैंक गारंटी के साथ बांड पैरा 7 में उल्लिखित लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसके निष्पादन की जांच करेंगे और बैंक गारंटी को प्रभावी करेंगे । यह स्पष्ट कर दिया जाय की जिन मामलों में बैंक गारंटी की आवश्यकता है उनमें आयातक/निर्यातक को आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी के लिए या निर्यातों के लिए प्रत्येक ई० पी० प्रपत्र के अनुमोदन के लिए जो भी मामला हो प्रत्येक आवेदन पत्र के सम्बन्ध में बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी । निर्धारित अवधि के भीतर प्रति-आभार का पालन करने और उस के समर्थन मे दस्तावजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में पार्टी की असफलता पर, भविष्य में भारत-अफगानिस्तान व्यापार में शामिल होने से बहिष्कृत करने सहित इस मामले में जो अन्य कार्रवाई की जा सकती है उस को ध्यान में रखे बिना बैंक गारंटी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी । प्रति-आभार को पूर्ण करने के समर्थन में प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेजी साक्ष्य वही होगा जो निम्नलिखित पैरा 22 में निर्दिष्ट किया गया है । इसके अतिरिक्त आयातकों/निर्यातकों के लिए आयातों/निर्यातों के सम्बन्ध में और उनके द्वारा पूर्ण किए गए प्रति-संतुलन आभारों के सम्बन्ध में मासिक सूचना संलग्न प्रपत्र (अनुबन्ध 3) में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिस से कि वह आगामी महीने की 7 तारीख तक सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को पहुंच जाएं ।

बांड/बैंक गारंटी प्रपत्रों के नमूने

20 आयातकों/ निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बांड/बैंक गारंटी के नमूने क्रमशः अनुबन्ध 4 और 5 में दिए गए हैं ? यह नोट कर लिया जाए कि बांड पर इस जमानत के रूप में अनुसूचित बैंक को प्रतिहस्ताक्षर करने हैं कि आयातक/निर्यातक की ओर से चूक होने पर बैंक जमानत दी गई धनराशि को लाइसेंस प्राधिकारी को चुकाने का बचन लेता है । बांड प्रपत्र बैंक के उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है जो बैंक द्वारा इस कार्य के लिए विधिवत् प्राधिकृत हो । यह भी नोट कर लिया जाए कि बांड स्टैम्प कागज या उचित मूल्य के स्टैम्पों को सादे कागज पर चिपका कर और दिनांक की मशीन द्वारा मुद्रित करके एक उचित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं ।

भारत के निर्यात-ऋण तथा गारंटी निगम से निर्यात निष्पादन गारंटी

21. आयातक/निर्यातक जिन्हें अपेक्षित "बैंक गारंटी" प्राप्त करने के लिए नकदी की पूरी धनराशि को अपने बैंकों में जमा करने में कठिनाई महसूस होती है यदि वे ऐसा चाहते हैं तो अपनी ओर से ई० सी० जी० सी० [भारत के निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम एक्सप्रेस टावर, (दसवीं मंजिल) नारिमन पाइन्ट, बम्बई–1] से निर्यात निष्पादन* गारंटी प्राप्त करने के लिए बैंकरों से सम्पर्क कर सकते हैं ।

*आयातकों/निर्यातकों को उनके आयात/निर्यात व्यवसाय के दौरान जो बैंक गारंटियां प्रस्तुत करनी पड़ती हैं उनको आसान शर्तों पर प्राप्त करने में आयातकों/निर्यातकों की सहायता के लिए भारत-ऋण तथा गारंटी निगम द्वारा 'निर्यात निष्पादन गारंटी', उद्भूत की गई है। बैंक गारंटी देने के लिए बैंक निर्यातकों से उन की हैसियत के हिसाब से विभिन्न धनराशियां नकद में जमा कराते हैं । जिस सीमा तक निर्यातकों को नकद में धनराशि जमा करनी होती है उस धनराशि के लिए उनके साधन अवरुद्ध हो जाते हैं । यह गारंटी कोई नकदी जमा कराए बिना या कम जमा करने के आधार पर आयातकों/ निर्यातकों को बैंक गारंटी प्राप्त कराने में सहायता करती है ।

प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज के लिए दस्तावेजी साक्ष्य

22. निम्नलिखित दस्तावेज आयातों और निर्यातों की पुष्टि में प्रस्तुत किए जाने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य माने जाएंगे :—

आयात.—सीमाशुल्क विभाग में प्रविष्टि के बिल की तीन प्रतियां और सीमाशुल्क विभाग द्वारा साक्ष्यांकित बीजक, और यदि सौदा बैंक-सूत्रों के माध्यम से किया गया है तो बैंक बीमे ।

निर्यातों.—सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत् प्रमाणित बिलों और सीमाशुल्क द्वारा विधिवत् प्रमाणित बीजक जिनमें अनुसूची "बी-1" और बी-2 के वास्तव में निर्यात किए गए उत्पादों का मूल्य और अन्य ब्यौरे निर्दिष्ट होने चाहिएं ।

सीमा शुल्क निकासी परमिटों की वैधता

23. इस सार्वजनिक सूचना की शर्तों के अनुसार 31-1-1975 के बाद लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा न तो आयात प्रथम योजना या निर्यात प्रथम योजना के अन्तर्गत ही सी० सी० पी० जारी किया जाएगा । इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार जारी किए गए सीमाशुल्क निकासी परमिट जारी होने की तिथि से तीन महीनों तक के लिए या 28 फरवरी, 1975 तक, इनमें जो भी पहले हो उस तक वैध होंगे ।

सीमाशुल्क निकासी परमिटों का वितरण

24. सीमाशुल्क प्राधिकारी व मात्रा के वास्तविक उपयोगी-करण को और प्रत्येक सीमाशुल्क निकासी परमिट में सम्मिलित मूल्य को परमिट की दूसरी ओर निर्धारित प्रपत्र में निर्दिष्ट करते हुए सीमाशुल्क निकासी परमिट के "सीमाशुल्क" प्रति को सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को सीधे भेजेंगे । द्वितीय प्रति इसी रूप में विधिवत् मुद्रांकित और हस्ताक्षरित करके रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को प्रस्तुत करने के लिए आयातक को लौटा दी जाएगी ।

परिवहन प्रमाणपत्रों का वितरण

25. सम्बद्ध सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सीमाशुल्क निकासी परमिट प्रस्तुत करते समय आयातक अफगान सरकार द्वारा जारी किए गए परिवहन प्रमाण पत्रों की पांच प्रतियां प्रस्तुत करेंगे । परिवहन प्रमाण पत्र की एक प्रति सीमाशुल्क विभाग द्वारा रख ली जाएगी, द्वितीय प्रति रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को अग्रेसित की जाएगी, और तीसरी और चौथी प्रतियां उनके द्वारा मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय, नई दिल्ली को अफगान सरकार और काबुल में भारतीय दूतावास को पहुंचाने के लिए भेजी जाएगी । पांचवीं प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को अग्रेसित की जानी है ।

तत्क्षण खरीद के आधार पर आयात किया जाना है

26. भारत और अफगानिस्तान के बीच आयात और निर्यात केवल तत्क्षण खरीद के आधार पर होंगे ।

अफगानिस्तान को प्रतिनिर्यातों के लिए मूल्यांकन करने की विधि

27. वर्तमान व्यापार व्यवस्था अवधि के दौरान भारत से अफगानिस्तान को किए गए प्रति-निर्यातों के मूल्य को निश्चित करने के लिए अफगान माल का मूल्यांकन करने की निम्नलिखित विधि होगी —

अफगान माल का मूल्यांकन, क्रय बीजकों का सवीक्षण करने पर भारतीय सीमा-शुल्क द्वारा यथा स्वीकृत अथवा निश्चित किए गए मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन कराची से बम्बई तक आयातकों द्वारा भारतीय रुपये में चुकाए भाड़ा और बीमा खर्चों को मूल्यांकन में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रति-निर्यातों का मूल्य उपर्युक्त संकेतित विधि से निश्चित किए गए के अनुसार आयातों के मूल्य के बराबर होना चाहिए।

भुगतान की विधि

28. अफगानिस्तान से आयातित ताजे फलों और अनुसूची "बी–1" तथा "बी–2" मदों को इस सार्वजनिक सूचना के अन्तर्गत उस देश को किए गए निर्यात का भुगतान भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ई० पी० प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। अनुसूची –ए 'बी–1' तथा 'बी–2' के अन्तर्गत नहीं आने वाली वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए भुगतान परिवर्तनीय यू० एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग में साख पत्र की स्थापना कर किए जाएंगे।

अवतरण प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण

29. अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान को माल का आयात और निर्यात की स्वीकृति इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि भारत से अफगानिस्तान को अनुसूची 'बी–1' की मदों के निर्यात के सम्बन्ध में निर्यातक अफगानिस्तान सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अवतरण प्रमाण-पत्र को वायुमार्ग से माल भेजने की तारीख से 30 दिनों के भीतर और समुद्र/स्थल मार्ग से माल भेजने की स्थिति में माल भेजने की तारीख से 90 दिनों के भीतर भारत में सम्बन्धित लाइसेंस प्राधिकारी को और साथ ही साथ भारत के रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे। आवश्यक अवतरण प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करने में असफल होने पर सम्बन्धित निर्यातक/आयातक के विपरीत आयात और निर्यात व्यापार नियंत्रण विदेशी मुद्रा विनिमय नियमों तथा विनियमों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीसरे देश को अपवर्तन नहीं

30. (1) वे दोनों सरकारों के बीच यह सहमति हुई है कि एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित माल का केवल आयात करने वाले देश में खपत के लिए उपयोग किया जाएगा। यदि किसी मामले में अफगानिस्तान से आयातित अथवा उसको निर्यातित माल का तीसरे देश को अपवर्तन किया जाएगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(2) अनुसूची "बी–1" की पण्य वस्तुओं के निर्यातकों को भी पैरा 29 में यथा संकेतित अफगान सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से निकासी के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। इस कार्य के लिए उपर्युक्त कंडिका 29 में यथा संकेतित अफगान सीमाशुल्क विभाग से निकासी दर्शाते हुए एक फोटोस्टेट प्रतिलिपि या दस्तावेज की एक प्रमाणित प्रतिलिपि निर्यातक द्वारा भारतीय सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।

व्यापारियों को पद्धति का दुरुपयोग बन्द करना चाहिए : संतुलित कीमतों को बनाए रखना

31. व्यापारियों को इस बात का निश्चय करने की सलाह दी जाती है कि भारत और अफगानिस्तान में उपयोक्ताओं/उत्पादकों के हित के लिए वर्तमान पद्धति का उपयोग किया जाता है और यह कि दोनों देशों के बीच के व्यापार के संतुलित विकास और नानाविध के सामान्य उद्देश्यों की व्यापार व्यवस्था प्राप्त करनी है। उन्हें यह भी सुनिश्चय करना चाहिए कि उचित मूल्य लिए जाते हैं तथा जहां आवश्यक है, बिक्री के बाद सेवा का निपुणता के साथ पालन किया जाता है। यदि भारतीय और अफगान उत्पादों के उपयोक्ताओं और उत्पादकों के अहित में और दोनों देशों के बीच की संतोषजनक विकास तथा नानाविधता के विरुद्ध व्यापार व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा तो यथोचित दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध 1

1972–73 के लिए भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था

अफगान की राजकीय सरकार के वाणिज्य मंत्री श्री एम० आरेफ मासी के नेतृत्व में अफगानिस्तान के एक शिष्टमण्डल तथा भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्री श्री एल० एन० मिश्र के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल की व्यापार वार्ता 18 फरवरी से 20 फरवरी, 1972 तक दिल्ली में हुई।

2. दोनों शिष्टमंडल ने पहले के तीन वर्षों के दौरान भारत-अफगान व्यापार की कार्य पद्धति के सभी पहलुओं की पुनरीक्षा की तथा 1972–73 के लिए व्यापार व्यवस्था पर विचार किया। उन लोगों ने यह नोट किया कि व्यापार की नानाविधिता के लिए विकास को सीमित कर दिया गया है। दोनों देशों के शिष्ट मंडल ने पारस्परिक लाभ के लिए भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार की उन्नति करने, उसमें विकास करने तथा उसको नानाविधि बनाने, व्यापार को एक मुखता को समाप्त करने और वर्तमान पद्धति में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि की।

3. भारत सरकार तथा अफगान की राजकीय सरकार इस बात पर राजी हुई कि संयुक्त उद्यम के माध्यम से औषधीय बूटियों के सत्तों के उत्पादन के लिए तथा अफगानिस्तान में उपजाए हुए पौधों के लिए अफगानिस्तान में संयंत्र की स्थापना के लिए वे सुविधाएं प्रदान करेंगे। भारत ने इन सत्तों का अपने खुद के औषधीय उद्योगों में 20 वर्षों की अवधि तक प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव रखा। अफगानिस्तान ने भारत में निर्मित चिकित्सालयी तथा शल्य उपकरणों और अन्य शल्य सभरणों की खरीद करने की अपनी इच्छा जाहिर की। आगे दोनों शिष्ट मडल दोनों देशों में निर्मित, दावाइयों और औषधियों का आयात करने पर राजी हुए। चूंकि इस दिशा में आगे कदम बढ़ाना है अतः दोनों सरकारों के सम्बन्ध प्राधिकारी उनकी नेशनल फार्मुलरी में, यदि कोई हो, औषधियों का उत्पादन किया जाता है तो इसके पंजीकरण की अनुमति देंगे। किन्तु यह शुद्धता तथा गुण के निर्धारित मानकों के संतुष्टीकरण के अधीन है।

4. राजकीय अफगान सरकार और भारत सरकार के बीच हुई 1950 की संधि के अनुच्छेद 15 की शर्तों के अनुसार और उनके अपने-अपने आयात-निर्यात तथा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के अधीन और दोनों सरकारों के बीच वर्षानुवर्ष पूर्ण की जाने वाली विशेष व्यापार व्यवस्थाओं के अधीन, दोनों सरकारों ने निम्नलिखित के लिए अपनी सहमति की पुनः पुष्टि की :—

(क) अनुसूची 'ए' की पण्य वस्तुओं के अफगानिस्तान से भारत में आयात को अनुमति किसी भी ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिसके आयात अनुसूची 'बी-1 तथा 'बी–2' की पण्य वस्तुओं के निर्धारित अनुपात में भारत से निर्यातों द्वारा प्रति संतुलित है।

(ख) अनुसूची 'बी'—1 और बी—2 की पण्य वस्तुओं की भारत से निर्यात की अनुमति ऐसे व्यक्ति को निर्धारित अनुपात में दी जायगी जिसके निर्यात अफगानिस्तान से अनुसूची 'ए' की पण्य वस्तुओं के आयातों द्वारा प्रतिसन्तुलित है ।

(ग) अनुसूची—'ए', बी—1 और बी—2 में न आने वाली पण्य वस्तुओं के आयातों और निर्यातों के लिए भुगतान साधनपत्र स्थापित करके हस्तांतरणीय यू०एस० डालर या पौंड स्टर्लिंग किए जाएगें ।

(घ) अफगानिस्तान बैंक द्वारा स्टेट बैंक आफ इंडिया के साथ रखा गया विशेष स्वतः संतुलन लेखा भारत में माल और सेवाओं के निर्यातों के बदले उदार आधार पर चमड़े और खालों के आयातों को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी रहेगा ।

5. भारत सरकार और अफगानिस्तान की राजकीय सरकार के बीच यह समझौता हुआ है कि देश से दूसरे देश द्वारा आयातित माल का आयात करने वाले देश में खपत करने के लिए उपयोग किया जाएगा और उस माल का तीसरे देश को अपवर्तन निषेध करने और रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएगें ।

6. दोनों सरकारें इस व्यवस्था को कार्य पद्धति में हुई किसी भी कठिनाई को दूर करने के विचार से उपर्युक्त व्यवस्था की पुनरीक्षा के लिए एक दूसरे से परामर्श करेगी ।

7. यह व्यवस्था 1 मार्च, 1972 से लागू होगी और एक वर्ष तक बैध रहेगी । जब तक दोनों संविदा पार्टियों में से कोई इस संविदा की समाप्ति के एक माह पूर्व इसे खतम करने या इसमें संशोधन करने की सूचना नहीं देती तो यह अपने आप एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ जाएगी । व्यवस्था द्वितीय वर्ष के समाप्त होने पर, जब तक दोनों पार्टियों में से कोई द्वितीय वर्ष की समाप्ति के एक माह पूर्व इसे खतम करने या इसमें संशोधन करने की सूचना नहीं देती तो यह एक वर्ष की अवधि के लिए अपने आप बढ़ जाएगी ।

इस 20 फरवरी, 1972 के दिन को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित ।

(ह०) एम० आरिफ गोर्म्सी,
वाणिज्य मंत्री,
राजकीय अफगान सरकार,
अफगान व्यापार शिष्ट मंडल
के नेता ।

(ह०) एल० एन० मिश्र,
विदेश व्यापार मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय व्यापार शिष्ट मंडल
के नेता ।

अनुबन्ध 'बी'—1

भारत के अफगानिस्तान को निर्यात के लिए वस्तुएं

1. सी टी सी तथा चूरा के अतिरिक्त चाय (काली
2. चाय (हरी) चूरा सहित
3. काफी
4. इलायची (छोटी तथा बड़ी)
5. मिर्च
6. तम्बाकू—कच्चा तथा अनिर्मित
7. नारियल जटा तथा नारियल जटा उत्पाद
8. रेंगने वाले तथा शल्कन पदार्थ (प्राकृतिक)
9. हर्रे अर हर्रे सत्व
10. निजी पार्टियों द्वारा आयातित चर्म उत्पाद
11. निजी पार्टियों द्वारा आयातित जूट उत्पाद।
12. सूती रंगे, सूती अट्टी और सूती धागे।

अनुबन्ध 2

अनसूची 'ए'

अफगानिस्तान से भारत को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

फल (हर किस्म के सूखे तथा ताजा फल)
हींग
जीरे के बीज
चमड़े तथा खालें

(अफगानिस्तान में उत्पादित औषधियों, औषधीय बूटियों के सत और पौधे)

कुछ संयम के लिए इन मदों का आयात निम्नलिखित किया जा रहा है ।

औषधीय बूटियों (नीचे बताए गए के अनुसार)

अंग्रेजी	फारसी
होसफ	जूफा
रोजा रोज फ्लावर (सूखा)	गुलेगुलाब
बरबाल (बोरेज)	गुले गाव जेबान
क्युइस (बारेज)	वह दाना
कहवाइट एण्ड रेड बेहमेन (उर्दू)	बेहमने (सफीद व सुर्ख
जुजबे	ओनाब
रतन ज्योत (हिन्दी)	यालैंड
माश्रा	तुरजबीन
डोरानक स	दारावेज
माश्रा (अलापनरिस स्पिनोसा से लिया गया)	शीर खैस्त
लिक्वैरिश (मुलेठी)	शिरीन बोया
वाइल्ट करेट	शक्कुल

कोई अन्य वस्तु जो दो सरकारों के बीच मान ली जाए।

अनुसूची 'बी'—2

भारत से अफगानिस्तान को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं

1. **वस्त्र.**—निर्मित तथा हस्त निर्मित जिसमें सूती साड़ियां, रेयन तथा ऊन शामिल हैं, होजरी तथा बुने हुए सूती वस्त्र पहनावे, रेयन तथा ऊन, अन्य सूती उत्पादें, रेयन तथा उन साड़ियों के कपड़े, साड़ियों, गुलबन्दों और जरी को छोड़ कर रेशम के अन्य उत्पादें ।

2. **खाद्य उत्पादें**

मिष्ठान
मछली—सूखी तथा नमकीन
फ्रिश प्रान्स—सूखी
परिरक्षित आम तथा अन्य तरकारी उत्पादें ।
आवश्यक वस्तुएं तथा तेल वाले स्टोसै
साबूदाना
टीपोका तथा उसके उत्पाद
गन्ने का गुड़/गन्ने के गुड़ का पाउडर (भारतीय गुड़)

3. **कृषि उत्पादें**

हाइड्रोजनीकृत तेल जैसे : वनस्पति या वनस्पति घी, वनस्पति तेल तथा तेल के बीज ।

4. **रासायनिक उत्पादन तथा साबुन**

रसायन तथा रासयनिक उपक्रम ।

5. **औषधीय**

कुछ समय के लिए इन मदों का आयात निलम्बित रहेगा ।
दवाई/औषधियों तथा प्रतिजैविकी
सैरा तथा वेक्सीन,
अफीम के एलकोलाय ्स तथा उससे बने हुए नेप्थेलीन,
साबुन—श्रंगार सामग्री तथा घरेलू वस्तुएं,
आवश्यक श्रृंगार सामग्री तथा सुगंधित पेंट्स, पिगमेंट तथा वार्निश ।

6. **इंजीनियरी सामान :**

मुद्रण मशीनें
डीजल इंजन
डीजल इंजन द्वारा संचालित पम्प तथा बिजली की मोटरें,
सिलाई मशीनें,
साइकिलें तथा उनके पुर्जे
वस्त्र मशीनें जैसे कार्डिंग मशीन तथा बुनाई करघा,
मशीन औजार
हाथ औजार तथा छोटे औजार, छोटे नदी जलयान
गन्ना पेलने वाली मशीनें,
चावल, आटा तथा तेल निकालने वाली मशीनें,

बाल बियरिंग्स
कृषि संबंधी औजार
आटोमोबाइल के साथ जो पुर्जे भेजे जाने हैं उनके अतिरिक्त आटोमोबाइल पुर्जे।
ब्लाइडर्स।

7. इलैक्ट्रिकल्स सामान

विद्युत, साचित्र तथा उपसाधन जैसे कन्डयूट पाइपें, स्विचें, घंटियां, होल्डरें, कट-आउटें, आदि,
इलैक्ट्रोड्स,
बिजली के बल्ब और ट्यूबें,
बिजली के पंखे तथा उनके पुर्ज
इलैक्ट्रिक टार्च लाइटें,
बैटरियां (सूखी तथा गीली),
इलैक्ट्रिक मोटरें,
इबोनाइट शीट्स, राडें तथा ट्यूब,
केबुल तथा तारें।

8. घरेलू तथा भवन सम्बंधी वस्तुएं

बर्तन जिसमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन, कुकिंग रेंजिस, हीटर, इलेक्ट्रिक प्रैस, टोस्टर, केसिलियां आदि भी शामिल है,
घरेलू इलैक्ट्रिक फिटिंग तथा फिक्सर,
छत के खपड़ें,
ईंटें,
लिनोलियम,
स्वास्थ्य संबंधी सामान,
जी० आई० पाइप तथा फिटिंग,
मेनहोल ढक्कन तथा प्लेटें,
मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव,
उद्दीप्त तेल दबाव लैम्प,
तिजोरियां, मजबूत बक्से तथा रूम फिटिंग।

9. हार्डवेयर

ताले तथा पैड लाक,
कटलरी,
बोल्टें, नटें, स्क्रू और हिन्जेज,
स्टील के सामान और अस्पताल के उपकरण,
सभी प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र,
तोलने वाली मशीनें,
शल्य चिकित्सा तथा मेडिकल यंत्र
स्टील की बाल्टियां।

10. **रबड़ की बनी चीजें**

टायर और ट्यूब,

रबड़ के बने हुए अन्य सामान ।

11. **चमड़े की बनी चीजें जो सरकार या सरकारी प्रकमों द्वारा आयातित हैं**

कृत्रिम चमड़ा माल ।

12. हस्तशिल्प तथा गृह उद्योग उत्पाद, लेखन सामग्री और कागज ।

13. **विविध**

सरकार या सरकारी प्रकमों द्वारा आयात की गई प्रदर्शित सिनेमा फिल्में,

वाणिज्यक सजावटी प्लाइवुड,

टेबुल सामग्री, शीशे की बोतलें और चूड़ियों सहित कांच सामग्री,

कृत्रिम चीनी मिट्टी के दांत,

बनावटी पत्थर,

किताबें और छपी सामग्री,

सिगरेट,

डाक टिकटें,

परिष्कृत खनिज तेल,

वाइक्रोमेट्स,

खेल सामग्री,

तापसह ईंट तथा तापसह मिट्टी,

रस्से ।

14. सरकार या सरकारी प्रकमों द्वारा आयातित जूट उत्पादें ।

15. कोई अन्य पण्य वस्तु जिस के लिए दोनों सरकारें रजामंद हों ।

अनुसूची 'सी'

भारत से निर्यात के लिए प्राप्त उत्पादों की निर्देशी सूचि

1. **मशीनरी तथा प्लान्ट और उनके पुर्जे जैसे :—**

1. खनन मशीनरी तथा उपस्कर,
2. केनिंग मशीनरी और उन के पुर्जे,
3. बूचड़खाना मशीनरी,
4. सीमेंट प्लान्ट्स ।

2. सड़क बनाने तथा निर्माण करने के लिए मशीनरी जैसे :—

1. सीमेंट मिक्सर,

2. वाईब्रेटर्स,

3. पत्थर पीसने वाली मशीनें,

4. पालिश करने वाले यंत्र,

5. रोड रोलर्स,

6. बुल्डोजर्स ।

3. लोहा तथा इस्पात निर्माण सामग्री जो अनुसूची 'बी' में 'हार्डवेयर' शीर्षक के अन्तर्गत उल्लिखित नहीं है ।

4. पैट्रोल पम्प ।

5. विद्युत् प्रजनक, वितरण तथा सब-स्टेशन उपस्कर—जिन में संवहनीय तथा असंवहनीय प्रजनक, शामिल हैं ।

6. वाटर ट्रीटमेंट, स्वेज तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिक उत्पादें ।

7. दूर संचार उपस्कर जैसे :—

टेलीग्राफ तथा टेलीग्राफ उपकरण, तथा उपस्कर, टेलीफोन उपस्कर आदि ।

8. मोटर गाड़ियां जैसे ट्रक, बस, डम्पर्स तथा जीप, मोटर गाड़ियों के साथ आयातित पुर्जे तथा उपसाधक भी शामिल हैं ।

9. लकड़ी के काम की मशीन ।

10. प्रशीतक ।

11. ट्रैक्टर ।

12. संपीडक ।

13. लेथ ।

14. अगर्म ।

15. मध्यवर्ती वातानुकूलित करने वाले उपस्कर ।

16. लेखामशीन ।

17. काटने के औजार ।

18. फेरस तथा नान-फेरस कास्टिंग और फोर्जिंग

19. पी० बी० सी० उत्पाद—जिन में पी० बी० सी० जूते भी शामिल हैं ।

20. रेडियो रिसिवर

21. फ्रेन

22 चीनी

23. अन्य मदें जो व्यापार समझौते के लिए अनुसूची 'बी–1' तथा अनुसूची 'बी–2' में शामिल नहीं हैं ।

अनुबन्ध 3

आयातक/निर्यातक द्वारा भरे जाने वाले शपथ-पत्र का प्रपत्र

मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं/करते हैं कि निम्नलिखित विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही है । मुझे/हमें पूर्णरूपेण पता है कि यदि इस विवरण में दी गई कोई सूचना गलत या झूठी पाई जाएगी तो अन्य किसी प्रतिकूल दंडात्मक कार्रवाई जो इस संबंध में की जा सकती है उसको ध्यान में रखे बिना इस विवरण के आधार पर मुझे/हमें प्रदान किया गया कोई सीमाशुल्क निकासी परमिट/निर्यात परमिट रद्द किया जा सकता है ।

सीमा-शुल्क निकासी परमिट का ब्योरा

सीमाशुल्क निकासी परमिट संख्या . ———————————

निर्गमन का दिनांक . . ———————————

माल का विवरण . . . ———————————

मूल्य ———————————

हस्ताक्षर : . . . ———————————

साफ अक्षरों में नाम . . ———————————

फर्म का नाम तथा पता . ———————————

ई० पी० अनुमोदन के विवरण

ई० पी० प्रपत्र संख्या . . ———————————

जारी करने का दिनांक . . ———————————

माल का विवरण . . ———————————

मूल्य ———————————

आयात

———— को समाप्त होने वाले महीने के लिए	आयात की मद	चालू करार अवधि के सीमा-शुल्क निकासी परमिट के अधीन किए गए आयातों का कस्टम द्वारा निर्धारित भार।		हस्तान्तरणों के कारण समायोजन		कुल (रुपये)
		कस्टम द्वारा निर्धारित मूल्य (रुपये)	कस्टम द्वारा निर्धारित भार (कि०ग्रा०)	जोड़े (रु०)	(घटाए) (रु०)	
1	2	3	4	5	6	7

निर्यात

अनुसूची-1 बी-1 मदें (मूल्य) (रुपये)	अनुसूची-बी-2 मदें (मूल्य) (रुपये)	कुल (मूल्य) (रुपये)	प्रतिशतता		बाहुल्य होने/कम पड़ने की प्रतिशतता	
			बी-1 मदें	बी-2 मदें	(+) बी-1 मदें	(—) बी-2 मदें
8	9	10	11		12	13 14

पिछला जोड़

(1) (प्रत्येक मद के पिछले महीनों के प्रगामी योग दीजिए)

(2) ————————

(महीना और वर्ष लिखें और मदें — भी निर्दिष्ट करें) ।

मदें ये हैं :—

1. **ताजे फल**

 अंगूर, अनार तथा अन्य ।

2. **सूखे फल**

 1. बादाम—नरम छिलके वाले, सख्त छिलके वाले, बिना छिलके वाले ।
 2. पिस्ता—छिलके वाला, बिना छिलके वाला ।
 3. किशमिश और अन्य सूखे फल तथा
 4. अन्य मदें ।

3. हींग ।
4. जीरा बीज ।
5. औषधीय जड़ी-बूटी ।

अनुबंध 4

भारत अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन आयातकों के लिए बांड-प्रपत्र का नमूना

इन उपस्थित सज्जनों द्वारा सब को ज्ञात हो कि हम (1)---------- (जिन्हें आगे 'आयातक'* कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके उत्तराधिकारी तथा अधिन्यासी शामिल होंगे और (2)----------के ---------- (जिन्हे आगे 'जमानती' कहा गया है)

इस अभिव्यक्ति में उत्तराधिकारी और अधिन्यासी जब तक उन्हें मामले से निकाल न दिया हो अथवा वे मामले में सम्बन्ध न रखते हो, भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें आगे 'सरकार' कहा गया है के प्रति संयुक्त रूप से या अलग-अलग ---------- रुपये की धनराशि सरकार या इसके अधिकारियों और अधिन्यासियों को चुकाने के लिए नियंत्रित है और निश्चित रूप से बंधे हुए हैं और इस धनराशि के लिए हम स्वयं और हमारे वारियों, प्रबंधकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों और अधिन्यासियों (जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें) में से प्रत्येक संयुक्त रूप से या अलग-अलग आज दिनांक ---------- को इन उपस्थित सज्जनों के सामने बंधे हुए हैं।

जब कि संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात (जिन्हें आगे संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक कहा गया है) इस अभिव्यक्ति में उस समय संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक का कार्य करने वाला व्यक्ति भी शामिल है, इस शर्त के अधीन अफगानिस्तान से ताजे फलों के आयात की अनुमति देने को सहमत हो गए कि वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31-7-1974 की व्यवस्थाओं के अनुसार आयातक, आयातों के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करें।

और जबकि पूर्वोक्त सार्वजनिक सूचना की शर्तों में से एक शर्त यह निर्धारित करती है कि आयातक इसमें ऊपर उल्लिखित शर्तों के साथ इसमें ऊपर बताई गई रीति से पर्याप्त जमानत सहित एक बांड का निष्पादन करेंगे। अब ऊपर लिखे गए बांड की यह शर्त है कि प्रथमवार यदि तीन महीने

*यदि आयात का जमानती व्यवसाय का पूर्ण रूपेण स्वामी है तो उसका नाम और पता देने के बाद उसके उत्तराधिकारी प्रबन्धकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए।

यदि आयातक जमानती साझीदार फर्म है तो कुछ समय के लिए उक्त फर्म के साझीदारों और फर्म के उत्तरजीवी और उनके तत्सम्बन्धी उत्तराधिकारी प्रबन्धकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए।

यदि आयातक जमानती लिमिटेड कम्पनी है तो इसके उत्तराधिकारियों और अधिन्यासियों को जोड़ा जाए।

के भीतर अथवा और समय जो उक्त संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात निर्यात द्वारा प्रदान किया जाए, के भीतर उक्त आयातक उक्त सार्वजनिक सूचना में संलग्न अनुसूची बी–1 और बी–2 में उल्लिखित मदों का अफगानिस्तान को निर्यात इस तरीके से करते हैं कि अनुसूची बी–2 की मदें निर्यातों के मूल्य के 50 प्रतिशत से कम न हों और यह कि अनुसूची बी–2 की मदों का निर्यात या तो अनुसूची बी–1 की मदों के निर्यात से पहले या इनके निर्यात के साथ-साथ होगा । और यह कि किए जाने वाले निर्यातों का कुल मूल्य अफगानिस्तान से आयातित माल का सीमा-शुल्क विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य के बराबर होगा ।

दूसरे, यदि उक्त आयातक और/या जमानती पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति की तिथि से एक महीने के भीतर संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक को इस बात का साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे या देंगे या इसका साक्ष्य उपलब्ध करने या देने का कारण बताएंगे कि आयातित माल के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा मूल्य के 100 प्रतिशत मूल्य के बराबर जैसा कि पहले कहा गया है, निर्यात कर लिए गए हैं, और वे वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आई० टी० सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 31–7–74 के पैरा 22 में यथा निर्धारित ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य भी यह प्रदर्शित करते हुए देंगे कि अफगानिस्तान को किए गए निर्यातों का मूल्य निर्धारित अनुपात के अनुसार है और यह आयातों के सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्धारित कुल मूल्य के 100 प्रतिशत से कम नहीं है तब लिखित बांड रद्द हो जाएगा तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा अन्यथा बांड पूरी शक्ति और क्षमता के साथ लागू रहेगा ?

और इसे एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि:—

(क) ऊपर लिखा गया बांड उक्त आयातित माल के आयात की तिथि से 15 मास की अवधि के लिए पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी रहेगा ।

(ख) आयातकों के प्रति पूर्वोक्त बांड की शर्तों को लागू करने में सरकार की ओर से कोई स्थगन अधिनियम या छूट प्रदान की जा रही हो या कोई अवधि प्रदान की जा रही हो या उसके सम्बन्ध में आयातकों पर सरकार का कोई अनुग्रह हो, तो जमानती को मुक्त नहीं करेगा ।

(ग) यह कि यह बांड केन्द्रीय सरकार के आदेश के अधीन एक ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आरम्भ किया गया है जिसमें जनता रुचि रखती है ।

(घ) यह कि बांड की धनराशि के भुगतान का आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्यवाही (जिसमें भविष्य के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिटों की अस्वीकृति भी शामिल है) से निर्यातकों के उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ङ) यह कि आयात किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किए जाएंगे तो इस गारंटी के अन्तर्गत आयातक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जायेंगे । इस बांड पर स्टाम्प का शुल्क आयातक द्वारा चुकाया जाएगा ।

जिसकी गवाही में पार्टियों ने इस मामले में वर्तमान दिन और वर्ष में जो पहले ऊपर लिखे गए हैं उन्हें विधिवत् निष्पादन किया है ।

के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगाकर निर्यातकों के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया—

1.

2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

..... के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगा कर जमानती के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया।

1.

2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से।

अनुबन्ध 5

भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधिन निर्यातों के लिए बांड प्रपत्र का नमूना

इन उपस्थित सज्जनों द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (1) के (जिन्हें आगे निर्यातक* कहा गया है) हम इस अभिव्यक्ति में निर्यातक/निर्यातकों के संबंधित वारिस, प्रबन्धक, प्रशासक तथा कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमित अधिन्यासी शामिल होंगे और (2) के (जिन्हें आगे जमानती कहा गया है। इस अभिव्यक्ति में उसके/उनके संबंधित वारिस, प्रबन्धक, प्रशासक और कानूनी प्रतिनिधि/उत्तराधिकारी और अनुमित अधिन्यासी, जब तक उन्हें इस मामले से बाहर न निकाल दिया गया हो अथवा वे मामले से संबंध न रखते हों, शामिल होंगे) भारत के राष्ट्रपति जिन्हें आगे सरकार कहा गया है के प्रतिसंयुक्त रूप से या अलग-अलग नियंत्रित और निश्चित रूप से बंधे हुए उक्त सरकार को अथवा इसके उत्तराधिकारियों के और अधिन्यासियों को संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात के माध्यम से रुपये की धनराशि के भुगतान के लिए हम स्वयं और हमारे वारिसों प्रबंधकों, प्रशासकों, कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों और अनुमित अधिन्यासियों (जो लागू न हो उसे काट दें) में से प्रत्येक संयुक्त रुप से या अलग-अलग रूप से आज दिनांक दिन को इन उपस्थित सज्जनों के सामने बधे हुए हैं।

जबकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया

ई० पी० प्रपत्र संख्या दिनांक

*यदि निर्यातक/जमानती व्यवसाय का पूर्ण रुपेण स्वामी है तो उसका नाम और पता देने के बाद उनके उत्तराधिकारी प्रबन्धकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए।

यदि निर्यातक/जमानती साझीदार फर्म है तो कुछ समय के लिए उक्त फर्म के साझीदार और फर्म के उत्तर जीवी और उनके तत्सम्बन्धी उत्तराधिकारी प्रबन्धकों और प्रशासकों को जोड़ा जाए।

यदि निर्यातक/जमानती लि० कम्पनी है तो इसके उत्तराधिकारियों और अधिन्यासियों को जोड़ा जाए।

के आधार पर अनुसूची बी–1 और बी–2 की मदों के निर्यात की अनुमति, इस प्रकार अनुमित निर्यातों के मूल्य के 50 प्रतिशत मूल्य के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर, इस शर्त के अधीन दे दी है कि प्रत्येक मामले में, अनुसूची बी–2 की मदों के निर्यातों का मूल्य निर्यातों के कुल मूल्य के 50 प्रतिशत से कम न हो, जैसा कि वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31–7–74 में दर्शाया गया है ।

और जबकि शर्तों में से एक शर्त यह व्यवस्था प्रदान करती है कि निर्यातक संयुक्त/उप-मुख्या/नियंत्रक, आयात-निर्यात भारत सरकार के साथ पर्याप्त जमानत सहित एक बान्ड निष्पादित करेगा । इस अभिव्यक्ति में, आगे कही गई शर्तों के साथ इसमें उपर उल्लिखित रीति से संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्य करने वाला व्यक्ति शामिल होगा :—

अब ऊपर उल्लिखित बांड की यह शर्त है कि प्रथमबार यदि तीन महीने के भीतर अथवा और समय जो उक्त संयुक्त / उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा प्रदान किया जाए, के भीतर उक्त निर्यातक 1974–75 के लिए भारत-अफगानिस्तान व्यापार व्यवस्था के अधीन अफगानिस्तान को निर्यात किए गए मूल्य के बराबर वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 108–आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 31–7–74 की अनुसूची 'ए' में निर्दिष्टानुसार अनुमेय पण्य वस्तुओं का आयात करेंगे,

दूसरे यदि उक्त निर्यातक और/या उनके जमानती तीन महीने के भीतर या उक्त संयुक्त/उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा प्रदान किए गए और समय के भीतर रिजर्व बैंक आफ इंडिया और संयुक्त /उप-मुख्य/नियंत्रक, आयात-निर्यात को इस बात का साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे या देंगे या इसका साक्ष्य उपलब्ध कराने या देने का कारण बताएंगे कि अफगानिस्तान को किए गए निर्यातों के मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर मूल्य के यथापूर्वोक्त आयात कर लिए गए हैं और वे उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के पैरा 22 में यथा निर्धारित ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य भी यह प्रदर्शित करते हुए देंगे कि अफगानिस्तान से किए आयातों का मूल्य पूर्वोक्त ई० पी० प्रपत्र के आधार पर अफगानिस्तान को निर्यात किए गए माल के मूल्य से 100 प्रतिशत से कम नहीं है । ऊपर लिखा गया बांड तब अमान्य और अप्रभावी होगा/अन्यथा बांड पूर्ण शक्ति और क्षमता से लागू रहेगा । और एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि :—

(क) ऊपर लिखा गया बांड उक्त निर्यातित माल के निर्यात की तिथि से 15 मास की अवधि के लिए पूर्ण रूपेण लागू और प्रभावी रहेगा ।

(ख) निर्यातकों के प्रति पूर्वोक्त बांड की शर्तों को लागू करने की सरकार की ओर से कोई स्थगन अधिनियम या छूट प्रदान की जा रही हो या कोई अवधि प्रदान की जा रही हो या उसके संबंध में निर्यातकों पर सरकार का कोई अनुग्रह हो, तो जमानती को मुक्त नहीं करेगा ।

(ग) यह कि बांड भारत सरकार के आदेश के अधीन एक ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए आरम्भ किया गया है जिसमें जनता रुचि रखती है ।

(घ) यह कि बांड की धनराशि के भुगतान का आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन की जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई (जिसमें भविष्य के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिटों की अस्वीकृति भी शामिल है) निर्यातकों के उत्तरदायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ङ) यह कि यदि निर्यात किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित किए जाएंगे तो इस गारंटी के अन्तर्गत निर्यातक अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे । इस बांड पर स्टाम्प का शुल्क निर्यातक द्वारा चुकाया जाएगा ।

जिसकी गवाही में पार्टियों ने इस मामले में वर्तमान दिन और वर्ष में जो पहले ऊपर लिखे गए हैं उन्हें विधिवत् निष्पादन किया है ।
के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगाकर निर्यातकों के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया:—

1.

2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

..... के द्वारा हस्ताक्षर करके मोहर लगा कर जमानती के नाम में निम्नलिखित व्यक्तियों की उपस्थिति में दिया गया ।

1.

2.

(गवाहों को भी अपना पेशा और पता देना चाहिए)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974